[2023] 5 एस सी आर 165

शिल्पा शैलेश

वी.

वरुण श्रीनिवासन

(2014 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1118)

1 मई, 2023

[संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस।

ओ. के. ए. विक्रम नाथ और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 142 – आयोजित होने का दायरा और परिधिः शक्ति यू/कला। 142 (1) परिभाषित और असंबद्ध है, ताकि किसी दी गई स्थिति के अनुरूप राहत को ढालने के लिए लोच सुनिश्चित की जा सके-सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के साथ-साथ मूल कानूनों से भी अलग हो सकता है, जब तक कि निर्णय का प्रयोग निम्नलिखित विचारों के आधार पर किया जाता है -

मौलिक सामान्य और विशिष्ट सार्वजनिक नीति-यह तय करते समय कि विवेक का प्रयोग करना है या नहीं, न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए -

मूल प्रावधानों को अधिनियमित किया गया है और उनकी अनदेखी नहीं की गई है, हालांकि न्यायालय परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करके एक समस्या समाधानक के रूप में कार्य करता है-इस शक्ति का प्रयोग 'कारण या कारण' में किया जाना है।

बात '।

भारत का संविधान-कला। 142 – हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - एस. 13-बी-आपसी सहमति से तलाक की डिक्री का अनुदान-चाहे

उच्चतम न्यायालय स्थानांतरण याचिका की सुनवाई करते समय, या किसी अन्य कार्यवाही में, अनुच्छेद के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 142 (1) अवधि के साथ पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री देने के लिए और

यू/एस निर्धारित प्रक्रिया। 13 - 1956 के अधिनियम का बी और अन्य/संबंधित कार्यवाहियों को भी रद्द और निपटाना और किन मामलों में और किन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को प्रयोग करना चाहिए

यू/आर्ट के अधिकार क्षेत्र। 142 – आयोजित किया गयाः पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता से बंधे बिना, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करके विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है-इस शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, अमरदीप सिंह मामले और अमित कुमार मामले में बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए-यह न्यायालय यू/आर्ट की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। 142 (1) आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को भी रद्द और अलग कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान-कला। 142 – विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की स्थिति में तलाक की मंजूरी-क्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है

अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक देना, जब प्रार्थना का विरोध करने वाले अन्य पति/पत्नी के बावजूद विवाह का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना हो-आयोजितः न्यायालय को Art.142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसके अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है। पक्षकारों को 'पूर्ण न्याय' करने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए-न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए, विवाह का विघटन सही समाधान है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है-समानता की अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को उन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को भी संतुलित करने की आवश्यकता है जिसमें विघटन का विरोध करने वाले पक्ष को रखा गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन-आयोजितः कि शादी हुई है

अपरिवर्तनीय रूप से टूटना तथ्यात्मक रूप से निर्धारित और दृढ़ता से स्थापित किया जाना है-इसके लिए, कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे कि विवाह के बाद पक्षों ने कब सहवास किया था; जब पक्षों ने आखिरी बार सहवास किया था; एक-दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति; समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव; क्या, और अदालत के हस्तक्षेप से या उसके माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे।

मध्यस्थता, और अंतिम प्रयास कब किया गया, आदि-अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और छह साल या उससे अधिक की कोई भी चीज एक प्रासंगिक कारक होगी-नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और कल्याण के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए-उल्लिखित कुछ कारकों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, और विचार के योग्य-कारकों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है-यू/आर्ट के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। 142 (1) स्थिति विशिष्ट है।

भारत का संविधान-Art.32-क्या कोई पक्ष अप्राप्य के आधार पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार कर सकता है

टूटना, कला के तहत एक रिट याचिका दायर करके। 32 संविधान का-आयोजितः पक्षकारों को रिट क्षेत्राधिकार यू/आर्ट का सहारा लेकर प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 32 या 226 -

सक्षम न्यायिक मंच के निर्णय से व्यथित व्यक्ति का उपचार शिल्पा शैलेश बनाम के निवारण के लिए वरिष्ठ मंच से संपर्क करना है।

वरुण श्रीनिवासन

उनकी शिकायत-रिलीफ यू/आर्ट। 32 भारत के संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने की मांग की जा सकती है, और उसके उल्लंघन के प्रमाण पर-न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश, या उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों के संबंध में, अनुच्छेद के तहत सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 32 भारत के संविधान का-पूनम बनाम में उसी के बारे में दृष्टिकोण। सुमित तंवर को स्वीकार कर लिया जाता है। निर्णय/आदेश-स्पष्टीकरण-आयोजितः यह स्पष्ट किया गया है कि पूनम बनाम में संदर्भ। सुमित तंवर और यह अवलोकन कि यह संदिग्ध है कि क्या दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए छह महीने की अवधि को माफ किया जा सकता है, को मंजूरी नहीं दी गई है।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

और भारत के संविधान की अन्य बुनियादी विशेषताएं। विशिष्ट सार्वजनिक नीति को कुछ व्यक्त पूर्व-प्रतिष्ठित के रूप में समझा जाना चाहिए। किसी भी मूल कानून में निषेध, और किसी विशेष वैधानिक योजना के लिए शर्तों और आवश्यकताओं को नहीं। इसे कानून के मूल में एक मौलिक और गैर-अपमानजनक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कठोरतम अर्थों में भी, इस बात पर कभी संदेह या बहस नहीं की गई कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत प्रक्रिया के प्रासंगिक प्रावधानों से बंधे बिना 'पूर्ण न्याय' करने का अधिकार है, यदि यह संतुष्ट है कि पक्षों के बीच 'पूर्ण न्याय' करने के लिए उक्त प्रक्रिया से विचलन आवश्यक है। के बीच अंतर

न्यायशास्त्र के संदर्भ में प्रक्रियात्मक और मूल कानून विवादास्पद है, हालांकि वर्तमान निर्णय में गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, [2023] 5 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है।

किसी 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए भारत का संविधान केवल तभी निषिद्ध है जब अभ्यास एक आदेश पारित करना है जो सामान्य या विशिष्ट सार्वजनिक नीति के मौलिक विचारों के आधार पर मूल कानून के वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से वर्जित है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में समझाया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग प्रकृति में उपचारात्मक होने के कारण, यह न्यायालय आम तौर पर एक

सार्वजनिक नीति, के तहत शक्ति और विवेक का प्रयोग अनुच्छेद 142 (1) वैध है और भारत के संविधान के अनुसार है। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति

भारत का संविधान अव्याख्यायित और असंकलित है, ताकि किसी दी गई स्थिति के अनुरूप राहत को ढालने के लिए लोच सुनिश्चित करें। तथ्य यह है

यह कि शक्ति केवल इस न्यायालय को प्रदान की गई है, एक आश्वासन है कि इसका उपयोग उचित संयम और सावधानी के साथ किया जाएगा। [पैरा

13] [188 - एफ; 189-ए-सी; 190-ए-एफ]

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

नीति। विवेकाधिकार का प्रयोग करना है या नहीं, यह निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को अधिनियमित मूल प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हालांकि यह न्यायालय परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करके एक समस्या समाधानक के रूप में कार्य करता है। यह शक्ति इसका प्रयोग किसी 'कारण या मामले' में किया जाना है। [पैरा 42] [212-डी-ई] शिल्पा शैलेश बनाम।

वरुण श्रीनिवासन

क्या न्यायालय, किसी स्थानांतरण याचिका की सुनवाई करते समय, या किसी अन्य कार्यवाही में, पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दे सकता है, और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125, या मुख्य रूप से धारा 498-ए और अन्य के तहत आपराधिक अभियोजन के तहत अन्य/संबंधित कार्यवाही को भी रद्द और निपटाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो किन मामलों में और किन परिस्थितियों में इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए एक सहायक मुद्दा है।

3.एक शक्ति के अस्तित्व के बीच अंतर है, और

किसी दिए गए मामले में उस शक्ति का प्रयोग। शक्ति का अस्तित्व आम तौर पर कानून का मामला है, जबकि शक्ति का प्रयोग कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है। यहां तक कि जब आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करने की शक्ति मौजूद है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो कब और किन मामलों में ऐसा करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

' 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' एक ऐसा मुद्दा है जिसे होना चाहिए

शक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से निर्धारित। इस विवेकाधिकार का प्रयोग वैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य की अनदेखी किए बिना, वस्तुनिष्ठ मानदंडों और कारकों पर मूल्यांकन किए गए विशेष मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर किया जाना चाहिए। [पैरा 20] [196-सी-डी]

4. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी तलाक की डिक्री देने के लिए इस न्यायालय की शक्तियों पर कोई बंधन नहीं लगाती है।

एक संयुक्त आवेदन पर पारस्परिक सहमति से, जब धारा की मूल शर्तों को पूरा किया जाता है और न्यायालय, ऊपर उल्लिखित कारकों का उल्लेख करने के बाद, आश्वस्त हो जाता है और राय देता है कि तलाक की डिक्री दी जानी चाहिए। [पैरा 21] [197-ए

5. विधायिका और न्यायालय वैवाहिक मुकदमों को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में नहीं तो एक विशेष श्रेणी के रूप में मानते हैं। परिवार और वैवाहिक संबंधों से संबंधित कानूनों में अंतर्निहित सार्वजनिक नीति मामला आपसी समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए है, जैसा कि सी. पी. सी. की धारा 89, हिंदू विवाह [2023] 5 एस. सी. आर. की धारा 23 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 का अधिनियम और धारा 9। यह देखते हुए कि विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कई कानून हैं, भले ही विवाद का कारण समान या समान हो, अधिकांश वैवाहिक विवाद आपराधिक मामलों सहित कई मामलों को जन्म देते हैं, जो कभी-कभी वास्तविक होते हैं, और अन्य अवसरों पर शुरू किए जाते हैं क्योंकि

क्रोध, चोट, क्रोध या यहाँ तक कि सबक सिखाने के लिए गुमराह सलाह। मुकदमों की बहुलता समाधानों को प्रतिबंधित और अवरुद्ध कर सकती है, क्योंकि एक समझौता समग्र और व्यापक होना चाहिए, यह देखते हुए कि उद्देश्य और उद्देश्य पक्षों को सक्षम बनाना है

सहवास करें और एक साथ रहें, या यदि वे अलग होने का फैसला करते हैं, तो एक नई शुरुआत करें और शांति से रहने के लिए बस जाएं। अदालतों को वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और इस तरह के मुकदमेबाजी का लंबा होना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है जो अपने बच्चे खो देते हैं।

कई मुकदमों का पीछा करने की उम्र। इस प्रकार, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाना विपरीत-उत्पादक हो सकता है क्योंकि विचाराधीनता स्वयं दर्द, पीड़ा और उत्पीड़न का कारण बनती है और इसके परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि वैवाहिक मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाए, जिससे पीड़ा, पीड़ा और पीड़ा का अंत हो। में।

इस संबंध में, अदालतों को केवल पूछताछ करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्षों के बीच समझौता बिना किसी दबाव के किया जाए।

बल प्रयोग, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत निरूपण, या अनुचित प्रभाव, और यह कि सहमति वास्तव में स्वतंत्र इच्छा और पसंद द्वारा मांगी जाती है, और पक्षों की स्वायत्तता से समझौता नहीं किया जाता है। उपरोक्त को देखते हुए कानूनी स्थिति और चर्चा, सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करते समय, आपराधिक मामलों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (ओं) सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को अलग कर सकता है और रद्द कर सकता है, बशर्ते विभिन्न निर्णयों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए। [पैरा 22] [197-बी-डी; 198-ए, डी]

6. इस न्यायालय को, पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, एक डिक्री पारित करके विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है

दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता से बंधे बिना आपसी सहमति से तलाक। अमरदीप सिंह और अमित कुमार में बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए इस शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को रद्द और रद्द कर सकता है। [पैरा 42] [212-सी-डी] शिल्पा शैलेश बनाम।

वरुण श्रीनिवासन

क्या यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक दे सकता है, जब दूसरे पति/पत्नी द्वारा प्रार्थना का विरोध करने के बावजूद विवाह का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना होता है।

इसलिए, दुर्लभ और असाधारण वैवाहिक मामलों में विवाद को हल करने और निर्णय लेने के लिए दोष और अधिक दोष को विभाजित करना नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के नियम प्रक्रिया के नियम हैं। जब जीवन जैसी स्थिति का पता चलता है निस्संदेह, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के पीछे सार और उद्देश्य है कि किसी भी पति या पत्नी को इसके अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

' जब यह न्यायालय शक्ति का प्रयोग करता है तो लागू होने वाले स्व-अधिरोपित प्रतिबंध का उल्लंघन किए बिना किसी विशेष मामले में 'पूर्ण न्याय' भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत। [पैरा 30] [205 सी-एफ]

8. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना कोई मामला नहीं है।

अधिकार का, लेकिन एक विवेक जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना है, यह सुनिश्चित करने वाले कई कारकों को ध्यान में रखते हुए कि

' दोनों पक्षों के साथ पूर्ण न्याय किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए, विवाह का विघटन सही समाधान है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, तथ्यात्मक रूप से निर्धारित और दृढ़ता से स्थापित किया जाना है।

कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे कि विवाह के बाद पक्षों ने कब सहवास किया था; जब पक्षों ने आखिरी बार सहवास किया था; एक-दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति; समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव; क्या, और अदालत के हस्तक्षेप से या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, और अंतिम प्रयास कब किया गया था, आदि। अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और छह साल या उससे अधिक की कोई भी चीज एक प्रासंगिक कारक होगी। लेकिन इन तथ्यों का मूल्यांकन पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता, क्या पक्षकारों के कोई बच्चे हैं, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, और क्या अन्य पति या पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, किस स्थिति में तलाक चाहने वाला पक्ष जीवनसाथी या बच्चों की देखभाल और व्यवस्था करने का इरादा रखता है। नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और कल्याण का प्रश्न, पत्नी के लिए उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान, और बच्चों के आर्थिक अधिकार और अन्य लंबित मामले, यदि कोई हों, प्रासंगिक विचार हैं। यह न्यायालय कारकों को संहिताबद्ध नहीं करना चाहेगा ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को कम किया जा सके, जो कि स्थिति विशिष्ट है। उल्लिखित कुछ कारकों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, और विचार करने योग्य है। [पैरा 33] [207-सी-जी; 208-ए]

9. इस न्यायालय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान को भंग करने का विवेकाधिकार है।

अपने अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह। यह

पक्षकारों को 'पूर्ण न्याय' करने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जिसमें यह न्यायालय संतुष्ट है कि स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि विवाह पूरी तरह से विफल हो गया है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि पक्षकार एक साथ रहेंगे, और औपचारिक कानूनी संबंध को जारी रखना अनुचित है। न्यायपीठ के रूप में न्यायालय को उन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को भी संतुलित करने की आवश्यकता होती है जिसमें विघटन का विरोध करने वाले पक्ष को रखा जाता है। [पैरा 42] [212-एफ-जी]

10. इस न्यायालय की राय है कि मनीष गोयल, नीलम कुमार, दर्शन गुप्ता, हितेश शिल्पा शैलेश बनाम में इस न्यायालय के निर्णय।

वरुण श्रीनिवासन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 'पूर्ण न्याय' करने के लिए भारत के संविधान द्वारा दी गई इस न्यायालय की शक्ति का संदर्भ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति के दायरे और दायरे पर हमारे निष्कर्षों के अनुरूप, हिंदू विवाह अधिनियम से उत्पन्न वैवाहिक विवादों के संदर्भ में, यह न्यायालय मानता है कि 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति तलाक की याचिकाओं पर लागू दोष और दोष के सिद्धांत से बंधी नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत। जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, इस न्यायालय की पारित करके समझौते पर विवाह को भंग करने की शक्ति

आपसी सहमति से तलाक की डिक्री, साथ ही आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने की डिक्री बनी हुई है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। [पैरा 40] [211-बी-डी]

11. अंत में, इस न्यायालय को इस बारे में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि क्या कोई पक्ष सीधे इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रचार कर सकता है -

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके अपरिवर्तनीय टूटना। पूनम वी. सुमित तंवर, दो न्यायाधीश ' इस न्यायालय की पीठ ने सही निर्णय दिया है कि इस तरह के किसी भी प्रयास को अस्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पक्षों को नहीं करना चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, या उस मामले के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करने और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक लेने की अनुमति दी गई है। इसका कारण यह है कि सक्षम न्यायिक मंच के निर्णय से व्यथित व्यक्ति का उपचार उसकी शिकायत के निवारण के लिए वरिष्ठ न्यायाधिकरण/मंच से संपर्क करना है। पक्षकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए और उनके उल्लंघन के प्रमाण पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगी जा सकती है। न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में या उसके संबंध में पारित न्यायिक आदेश संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत का संविधान। इसलिए, कोई पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है और इस मामले में राहत की मांग नहीं कर सकता है। इस न्यायालय से सीधे विवाह का विघटन। [पैरा 41] [211 ई-जी; 212-ए] [2023] 5 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) v. महंत सुरेश दास और अन्य (2020) 1 एस. सी. सी. 1: [2019] 18 एस. सी. आर. 1; प्रेम चंद गर्ग और एक अन्य बनाम। आबकारी आयुक्त, यू. पी. और अन्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996: [1963] पूरक। एस. सी. आर. 885; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और एक और (1998) 4 एससीसी 409: [1998] 2 एस. सी. आर. 795-अनुसरण किया गया।

यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 584: [1991] 1 पूरक। एससीआर 251; अमरदीप सिंह बनाम। हरवीन कौर (2017) 8 एससीसी 746: [2017] 8 एस. सी. आर. 925; अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1270-पर भरोसा किया।

पूनम वी. सुमित तंवर (2010) 4 एस. सी. सी. 460: [2010] 3 एससीआर 557-पुष्टि की गई। मनीष गोयल बनाम। रोहिणी गोयल (2010) 4 एससीसी 393: [2010] 2 एससीआर 414; अंजना किशोर बनाम। पुनीत किशोर (2002) 10 एस. सी. सी. 194; प्रदीप चंद्र परिजा और अन्य बनाम। प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य (2002) 1 एससीसी 1: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 460; राज्य (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से) v. कल्याण सिंह (उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) और अन्य (2017) 7 एस. सी. सी. 444 [2017] 6 एस. सी. आर. 946; आई. सी. गोलक नाथ और अन्य बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य आकाशवाणी 1967 एस. सी. 1643: [1967] एससीआर 762; बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (2003) 4 एस. सी. सी. 675: [2003] 2 एससीआर 1104; ज्ञान सिंह बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303 [2012] 8 एस. सी. आर. 753; जितेंद्र रघुवंशी और अन्य बनाम। बबीता रघुवंशी और एक और (2013) 4 एससीसी 58: [2013] 2 एस. सी. आर. 921; मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य (2019) 5 एससीसी 688 [2019] 2 एससीआर 864; एन. जी. दास्ताने बनाम एस. दास्ताने (1975) 2 एस. सी. सी. 326: [1975] 3 एस. सी. आर. 967; वी. भगत बनाम डी. भगत (1994) 1 एससीसी 337: [1993] 3 पूरक। एससीआर 796; अशोक हुर्रा बनाम। रूपा बिपिन जावेरी (1997) 4 एस. सी. सी. 226: [1997] 2 एससीआर 875; नवीन कोहली बनाम। नीलू कोहली (2006) 4 एस. सी. सी. 558 [2006] 3 एस. सी. आर. 53; मुनीश कक्कड़ बनाम। निधि कक्कड़ (2020) 14 एससीसी 657:

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन

[2019] 15 एस. सी. आर. 169; शिवशंकरन बनाम। संथिमीनल 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 702; आर. श्रीनिवास कुमार बनाम। आर. शमिता

(2019) 9 एससीसी 409 [2019] 12 एससीआर 873; हितेश भटनागर बनाम। दीपा भटनागर (2011) 5 एससीसी 234:

[2011] 6 एस. सी. आर. 118; सुरेस्ता देवी बनाम। ओम प्रकाश (1991)

2 एससीसी 25: [1991] 1 एस. सी. आर. 274; स्मृति पहाड़िया बनाम।

संजय पहाड़िया (2009) 13 एससीसी 338: [2009] 8 एससीआर

631 ; श्याम सुंदर कोहली बनाम। सुषमा कोहली उर्फ सत्या

देवी (2004) 7 एस. सी. सी. 747; दर्शन गुप्ता बनाम। राधिका

गुप्ता (2013) 9 एससीसी 1: [2013] 10 एस. सी. आर. 937; गुरबक्स

सिंह बनाम। हरमिंदर कौर (2010) 14 एससीसी 301 [2010]

12 एस. सी. आर. 275; नीलम कुमार बनाम दयरानी (2010) 13 एस. सी. सी. 298; सतीश सितोल बनाम। गंगा (2008) 7 एस. सी. सी. 734:

[2008] 10 एससीआर 767; विष्णु दत्त शर्मा बनाम। मंजू

शर्मा (2009) 6 एससीसी 379: [2009] 3 एससीआर 891; सावित्री

पांडे बनाम। प्रेम चंद्र पांडे (2002) 2 एससीसी 73:

[2002] 1 एस. सी. आर. 50; जॉर्डन डायंगदेह बनाम। एस एस चोपड़ा

(1985) 3 एससीसी 62: [1985] 1 पूरक। एससीआर 704-संदर्भित

को।

हॉर्टन वी. हॉर्टन [1940] P.187; ओवेन्स बनाम। ओवेन्स (2018)

यूकेएससी 41-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2002) 10 एससीसी 194

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[2010] 2 एससीआर 414

पैरा 1

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 46

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2019] 18 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 9

[2017] 6 एससीआर 946

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1967] एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1991] 1 पूरक। एससीआर 251

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1963] पूरक। एससीआर 885

पीछा किया।

पैरा 11

[1998] 2 एससीआर 795

पीछा किया।

पैरा

11

[2017] 8 एससीआर 925

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2003] 2 एससीआर 1104

पैरा

22

[202

3] 5 एस को संदर्भित किया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 एससीआर 753

[2012]

पैरा

22

संदर्भित किया गया है

[2013] 2 एससीआर 921

पैरा

22

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 864

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1975] 3 एससीआर 967

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1993] 3 पूरक। एससीआर 796

संदर्भित किया गया है

पैरा

26

[1997] 2 एससीआर 875

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 एससीआर 53

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[2019] 15 एससीआर 169

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 873

पैरा

32

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1991] 1 एससीआर 274

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[2009] 8 एससीआर 631

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

(2004) 7 एस. सी. सी. 747

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[2013] 10 एससीआर 937

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2010] 12 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

(2010) 13 एससीसी 298

पैरा

38

संदर्भित किया गया है

[2008] 10 एससीआर 767

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2009] 3 एससीआर 891

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2002] 1 एससीआर 50

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[1985] 1 पूरक। एससीआर 704

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[2010] 3 एससीआर 557

पैरा

41

पुष्टि की

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण याचिका (सी. आई. वी.)

1118 2014 से।

2013 की पी. ए. संख्या 1148 के हस्तांतरण की मांग करने वाली याचिका

न्यायालय, पुणे, पुणे से परिवार न्यायालय, एर्नाकुलम, केरल राज्य।

के साथ

स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) सं। 96 , 339 , 382 , 468 20 में से

स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं। 1481-1482 2014 से।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन

सुश्री इंदिरा जयसिंह, वी. गिरि, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , (एसी) पारस नाथ सिंह, रोहिन भट्ट, सुश्री सुवेनी भगत,

सुश्री अंकिता गुप्ता, श्रीरंग वर्मा, अर्जुन रंगनाथन, चंद्रतनय चौबे, सुश्री किरण भारद्वाज, सुश्री नेहा सांगवान, अधिवक्ता। वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, सुश्री सौम्या टंडन, सुश्री एल. एम. भट, राहुल जैन, अनिरुद्ध भट, सुश्री ज्योतिका कालरा,

सुश्री अन्वेषा देब, सुश्री आयुषी चुघ, सुश्री पियूषी मलिक, आदित्य झा, कार्तिक सुंदर, अमोल चिताले, निर्निमेश दुबे, अंकुर एस कुलकर्णी, सुशील जोसेफ सिरियाक, सुश्री सोनिया दुबे, सुभाष नायर, सुश्री उदिता चक्रवर्ती को मेसर्स के लिए चुना गया है। लेक्स रेजिस लॉ ऑफिस, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, अखिल अब्राहम रॉय, श्रीमती रजनी ओहरी लाल, यदुविंदर लाल, हिमिंदर लाल, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए। जय सावला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कपिल सिब्बल, जसदीप ढिल्लों, सुश्री मोहिना आनंद, अनुराग, प्रभात चौरसिया, सुश्री रेणुका साहू, संजीव अग्रवाल, सुश्री पी. अंकलेश्वरी, रोहित शर्मा, श्लोक चंद्र, मुकुल कत्याल, ऋषभ पारिख, सुश्री अपराजित जामवाल, निमित सहगल, सुश्री मालविका राजकोटिया,

अजुनी सिंह, सुश्री देवीना मालवीय, सुश्री श्रीया माहेश्वरी, विक्रांत पचंद्रा, सुश्री मानसी जैन, रोहित शर्मा, अशोक कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

पृष्ठभूमि.

इस संविधान पीठ के समक्ष मुद्दे, जैसा कि नीचे जोड़ा गया है, मुख्य रूप से टी. पी. में पारित 12.05.2010 के आदेश से उत्पन्न होते हैं। (ग) नहीं।

899 2007 में नीति मालवीय बनाम. राकेश मालवीय, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने अंजना किशोर बनाम में व्यक्त विचार पर संदेह किया था। पुनीत किशोर 1 और मनीष गोयल बनाम। रोहिणी गोयल ने कहा कि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 13-बी की उप-धारा (2) में निर्धारित दूसरे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए छह महीने की अवधि को कम या माफ नहीं कर सकता है। यह देखते हुए कि यह न्यायालय, कुछ उच्च न्यायालय और यहां तक कि कुछ राज्यों में पारिवारिक न्यायालय भी दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए छह महीने की अवधि को समाप्त या कम कर रहे थे, जब कोई संभावना नहीं थी।

1 (2002) 10 एससीसी 194। यह निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाता है। 2 2 (2010) 4 एससीसी 393। 3 संक्षेप में, 'हिंदू विवाह अधिनियम'।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पति-पत्नी में से जो भी सहवास कर रहे हों, निम्नलिखित प्रश्न को एक स्पष्ट निर्णय और भविष्य के मार्गदर्शन के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया थाः

" (I) क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी की उप-धारा (2) में निर्धारित अवधि को इस न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माफ या कम किया जा सकता है।

संविधान? "

हालाँकि, टी. पी. के बाद से इस प्रश्न पर कभी निर्णय नहीं लिया गया। (ग) 2007 की सं. 899 को आदेश के बाद पक्षकारों के रूप में निष्फल बना दिया गया था।

संदर्भ में, आपसी सहमति से उनकी शादी को भंग कर दिया था।

2. टी. पी. में (ग) 2014 क सं. 1118, शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन, दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने दिनांकित 06.04.2015³ के आदेश के माध्यम से, निम्नलिखित मुद्दों पर दलीलों को संबोधित करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कियाः

" 1. जहाँ तक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत नोटिस की अवधि का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का दायरा और विस्तार हैः

चिंतित हैं।

2. वैधानिकता के संबंध में सरकार का रुख

अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद को शामिल करना

तलाक देने की शर्तें।

3. कोई अन्य आनुषंगिक और सहायक समस्या जो उत्पन्न हो सकती है विद्वान महान्यायवादी द्वारा भी संबोधित किया जाए। "

3. भारत के अटॉर्नी जनरल ने अपनी लिखित दलीलों के पैराग्राफ 5 में कानून के दो अतिरिक्त प्रश्नों का सुझाव दिया था, जो इस प्रकार हैंः

" उपरोक्त मामलों में माननीय न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय का यह विचार कि तलाक "अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद" के आधार पर दिया जा सकता है, विधानमंडल द्वारा विचार किए जाने वाले ऐसे आधार के अभाव में भी संविधान पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हो सकती है।

4 टी. पी. के साथ चिह्नित। (क्रोरल) 2014 का सं. 96, टी. पी. (क्रोरल) 2014 का सं. 339, टी. पी. (सीआरएल।) 2014 का सं. 382, टी. पी. (सीआरएल।) 2014 का सं. 468 और टी. पी. (ग) 2014 की सं. 1481-1482।

5 टी. पी (ग) टी. पी. के साथ 2014 की सं. 1118। (सीआरएल।) 2014 का सं. 382, टी. पी. (सीआरएल।) 2014 का सं. 468 और टी. पी. (ग) 2014 की सं. 1481-1482।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

इसी तरह, यह मुद्दा कि क्या उप में निर्धारित अवधि

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी की धारा (2)

इस न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माफ या कम किया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भी विचार की आवश्यकता है। संविधान पीठ द्वारा "।

4. टी. पी (ग) 2014° की सं. 1118 का प्रभावी ढंग से निपटान 06.05.2015 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें तलाक की मंजूरी देकर विवाह को भंग कर दिया गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली दोनों न्यायाधीशों की पीठ के साथ आपसी सहमति। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय के फैसलों के परस्पर विरोधी अनुपात को देखते हुए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्थानांतरण याचिका को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए लंबित रहने के लिए स्थगित कर दिया, और तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार कियाः

" 4. हमारे द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के बावजूद, उद्देश्यों के लिए सांख्यिकी के अनुसार वर्तमान स्थानांतरण याचिकाएं लंबित रहेंगी।

हमारा विचार है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे की आवश्यकता है

अनुरोधों की भारी संख्या को देखते हुए न्यायालय द्वारा संबोधित

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कि द्वारा किए गए समझौते के परिणामस्वरूप इस न्यायालय का सामना किया है

सहमति दें। 5. प्रश्नों को यहाँ नीचे तैयार किया गया हैः

1. " शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यापक मापदंड क्या हो सकते हैं?

पक्षों को संदर्भित किए बिना सहमति देने वाले दलों के बीच परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी।

प्रत्येक मामले के तथ्यों में निर्धारित किया जाना। 5. इसके बाद, 29.06.2016 दिनांकित आदेश के अनुसार,

इस न्यायालय के दो न्यायाधीश, टी. पी. में तैयार किए गए प्रश्नों की जांच करने पर। (ग) 2014 का सं. 1118, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) को संदर्भित करता है।

6 टी. पी. के साथ (सीआरएल।) 2014 का सं. 382, टी. पी. (सीआरएल।) 2014 का सं. 468 और टी. पी. (ग) 2014 की सं. 1481-1482।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत, और प्रदीप चंद्र परिजा और अन्य बनाम पर भरोसा करना। प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य ने टी. पी. में तैयार किए गए प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया। (ग) संविधान पीठ के विचार के लिए 2014 का सं. 1118। यह तय करना संविधान पीठ के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया था कि क्या वह भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा इंगित कानून के दो प्रश्नों पर विचार करने के लिए इच्छुक होगी।

6. इस संविधान पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, एक और प्रश्न तैयार करना उचित समझा था

कानून, जो इस प्रकार पढ़ता हैः

" हमारा मानना है कि एक और सवाल जिसकी आवश्यकता होगी

विचार यह होगा कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति को किसी भी तरह से ऐसे परिदृश्य में बाधित किया जाता है जहां राय में विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना है।

न्यायालय का लेकिन एक पक्ष शर्तों के लिए सहमति नहीं दे रहा है।

7. तदनुसार, हमारे समक्ष विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैंः

इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का दायरा और दायरा

(1)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत;

((ख)

दूसरा, के निष्कर्षों को देखते हुए और उन पर निर्भर करते हुए

इस पीठ ने पहले प्रश्न पर कि क्या यह न्यायालय किसी स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते समय, या किसी अन्य कार्यवाही में, पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दे सकता है, और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125, या मुख्य रूप से धारा 498-ए और अन्य के तहत आपराधिक अभियोजन के तहत अन्य/संबंधित कार्यवाही को भी रद्द और निपटाया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान। अगर जवाब दें।

(2002) 1 एससीसी 1.

8 हम प्रदीप चंद्र परिजा और अन्य (ऊपर) में बताए गए अनुपात की जांच और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 9 संक्षेप में, 'घरेलू हिंसा अधिनियम'। 10 संक्षेप में, 'Cr.P.C.'।

1 1 संक्षेप में, 'आई. पी. सी.'।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है कि इस न्यायालय को किन मामलों में और किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र

एक सहायक मुद्दा है जिस पर निर्णय लिया जाना है; और

(111) तीसरा मुद्दा, जो काफी महत्वपूर्ण है, यह है कि क्या यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक दे सकता है, जबकि इसके बावजूद विवाह का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना है।

प्रार्थना का विरोध करने वाले दूसरे पति या पत्नी का।

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 (1) में कहा गया हैः
" 142. उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन

और खोज आदि के बारे में आदेश। — (1) सुप्रीम कोर्ट में

अपनी अधिकारिता का प्रयोग ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या बना सकता है

ऐसा आदेश जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।

या उसके समक्ष लंबित विषय, और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या इस प्रकार बनाया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में उस तरीके से लागू करने योग्य होगा जो उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जाए।
संसद और, जब तक उस ओर से प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित तरीके से।

यह प्रावधान, जाहिरा तौर पर अद्वितीय है क्योंकि दुनिया के अधिकांश प्रमुख लिखित संविधानों में इसका कोई समकक्ष नहीं है। और न्याय, समानता और अच्छे विवेक की सदियों पुरानी अवधारणाओं से प्रेरित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 (1), जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने की व्यापक और व्यापक शक्ति देता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त करता है। विस्तार को देखते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का विस्तार, शक्ति का प्रयोग वैध होना चाहिए, और संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के रूप में एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने से उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने का आह्वान करना चाहिए।

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) की व्याख्या,

एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम)

1 2 12 बांग्लादेश और नेपाल के संविधानों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के समान प्रावधान हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 से प्रेरित हैं।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जन्मभूमि मंदिर मामला) v. महांत सुरेश दास और अन्य 1 3, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस मामले की रूपरेखा को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

शक्ति इस प्रकार हैः

" 1023. ... .वाक्यांश 'पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है' एक व्यापक आयाम का है और इसमें समानता की एक शक्ति शामिल है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कानून का सख्त अनुप्रयोग पर्याप्त नहीं होता है।

एक उचित परिणाम उत्पन्न करें। न्याय की माँगों को पूरा करने की आवश्यकता है

केवल सकारात्मक कानून पर ही नहीं बल्कि सकारात्मक के मौन पर भी ध्यान दें।

अपने हस्तक्षेपों के भीतर एक ऐसा समाधान खोजने के लिए कानून जो न्यायसंगत हो और

बस। कानूनी उद्यम आम तौर पर आवेदन पर आधारित है

अदालतों के समक्ष किसी मामले की विशिष्टताओं के लिए शब्दबद्ध कानून। द.

मानव इतिहास और गतिविधि की जटिलताएं अनिवार्य रूप से अद्वितीय प्रतियोगिताओं की ओर ले जाती हैं "जैसे कि इस मामले में, जिसमें धर्म, इतिहास और कानून शामिल हैं-जिनसे निपटने के लिए कानून, अपनी सामान्य प्रकृति से, अपर्याप्त है।

के साथ। यहां तक कि जहां सकारात्मक कानून स्पष्ट है, जानबूझकर व्यापक है अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का विस्तार एक अदालत को सशक्त बनाता है -

एक आदेश पारित करें जो न्याय के अनुरूप हो। न्याय के लिए

फाउंडेशन जो किसी भी कानूनी उद्यम के उद्देश्य को घर लाता है और जिस पर कानून के शासन की वैधता टिकी हुई है। न्यायसंगत

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति सामने आती है

सामान्य और विशिष्ट के बीच प्रतिच्छेदन। अदालतें पा सकती हैं

स्वयं उन स्थितियों में जहाँ कानून के मौन को अर्थ के साथ डालने की आवश्यकता होती है या कानून को अपने मानवीय और दयालु चेहरे को बनाए रखने के लिए इसके खुरदरे किनारों की कठोरता को नरम करने की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त उद्धरण में शब्द कि 'के तहत न्यायसंगत शक्ति

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सामान्य और विशिष्ट कानूनों के बीच के प्रतिच्छेदन को सामने लाता है, जिसे प्रोफेसर सी. के. एलन द्वारा दो सिद्धांत रूपों में समानता के वर्गीकरण के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना

चाहिएः ((i) कानून की उदार और मानवीय व्याख्या, जहां तक संभव हो, कानून के वास्तविक विरोध के बिना।

यह न्यायालय उस 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए, संबंधित हैं 13 (2020) 1 एससीसी 1. 14 'देखें-सी. के. एलन, लॉ इन द मेकिंग (क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1927)। 15 देखें- अनुच्छेद 142, (2021) 1 एस. सी. सी. जे.-30 के तहत "पूर्ण न्याय" को तर्कसंगत बनाना।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन

[संजीव खन्ना, जे।]

विशेष इक्विटी 1 6 के लिए। यही कारण है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद

142 (1) भारत के संविधान में कहा गया है कि 'समानता कानून का पालन करती है', क्योंकि भारत के संविधान का यह अनुच्छेद इस न्यायालय को कानून पर समानता को प्राथमिकता देने का कानूनी अधिकार देता है। भारत के संविधान के तहत सभी शक्तियों की तरह इस शक्ति को भी समाहित और विनियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह माना गया है कि समानता पर आधारित राहत को सार्वजनिक नीति के अंतर्निहित मौलिक सामान्य और विशिष्ट मुद्दों के आधार पर कानून के मूल जनादेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस सीमा के अधीन रहते हुए, यह न्यायालय राहत देते समय, मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों को कानून लागू करने में ढील देने या पक्षों को कानून की कठोरता से पूरी तरह से छूट देने की सीमा तक जा सकता है। 1 7 आई. सी. गोलक नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1 8, के।

सुब्बा राव, सीजे। , संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति व्यापक और लोचदार है, और इस न्यायालय को कानूनी सिद्धांतों को तैयार करने में सक्षम बनाती है

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना, और उस पर एकमात्र सीमा तर्क, संयम और अन्याय है। संयम और सम्मान कानून के शासन के पहलू हैं, और जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका और कार्यों को अलग करने की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति का प्रयोग, एक 'कारण या मामले' के लिए होने के नाते, विधायिका की शक्ति और कार्य में हस्तक्षेप और अतिक्रमण नहीं करता है। स्पष्ट रूप से, जब यह न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 (1) किसी 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए, यह भारत के संविधान के चारों कोनों के भीतर कार्य करता है। भारत के संविधान द्वारा विशेष रूप से देश के शीर्ष न्यायालय को दी गई शक्ति एक उद्देश्य के साथ है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

'कारण या मामले' में निर्णय के अभिन्न अंग के रूप में। 'पूर्ण न्याय' करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) का अत्यधिक विचार और मार्गदर्शक भावना है।

10. यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम। भारत संघ

और अन्य ', इस न्यायालय ने' कारण 'अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया

या उस 'कारण' का अवलोकन करने का अर्थ है कोई कार्रवाई या आपराधिक कार्य।

16 जैसा कि यह न्यायालय कानून की व्याख्या करता है और विशिष्ट मामलों में निर्णय देता है, कई मामलों में, यह सामान्य और विशेष समानता दोनों में समानता का प्रयोग और लागू करता है। यह भी देखें-'कारण' और 'पदार्थ' के बीच का अंतर।

17 देखें-राज्य (केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से) v. कल्याण सिंह (उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) और अन्य, (2017) 7 एससीसी 444।

18 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643

19 19 (1991) 4 एससीसी 584।

'प्रकरण' और 'विषय' का अर्थ है न्यायालय में कोई भी कार्यवाही जो उपयोग में नहीं है। 'कारण या विषय' शब्द, जब एक साथ उपयोग किए जाते हैं, तो अदालत में हर तरह की कार्यवाही को शामिल करते हैं, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, न्यायिक या अंतिम, निर्णय से पहले या बाद में। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

" 83. इस न्यायालय की शक्तियों के दायरे को छूते हुए तर्कों में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना आवश्यक है।

संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अधिकार। वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता के प्रभाव के बारे में टिप्पणियां उन मामलों में वास्तव में अनावश्यक थीं क्योंकि अंतिम निर्णय विश्लेषण ने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर रुख किया। हम श्री नरीमन से सहमत हैं कि जहां तक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का संबंध है, अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 या 321 या 482 या उन सभी को मिलाकर समाप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर और एक अलग गुणवत्ता की है। प्रतिबंध या सीमाएँ या

सामान्य कानूनों में निहित प्रावधान, वास्तव में, अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। विधियों में इस तरह के निषेध या सीमाएं किसी विशेष कानून की योजना को मूर्त रूप दे सकती हैं और प्रतिबिंबित कर सकती हैं, जो प्राधिकरण या न्यायालय की प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कुछ उचित तरीके से सीमित शक्तियों को प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सीमाएँ आवश्यक रूप से सार्वजनिक नीति के किसी भी मौलिक विचार को प्रतिबिंबित या आधारित नहीं हो सकती हैं। विद्वान महान्यायवादी श्री सोराबजी ने गर्ग मामले का जिक्र करते हुए कहा कि "मूल कानून के स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता" से उत्पन्न होने वाली अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों पर सीमा का वास्तव में अर्थ होना चाहिए और इसे किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित कुछ स्पष्ट निषेध के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 'प्रावधान' के स्थान पर 'निषेध' अभिव्यक्ति को पढ़ा जाता है तो शायद यह उचित विचार व्यक्त करेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि इस तरह का प्रतिबंध

यह भी दिखाया जाना चाहिए कि यह सार्वजनिक नीति के कुछ अंतर्निहित मौलिक और सामान्य मुद्दों पर आधारित है, न कि केवल शिल्पा शैलेश v.

वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

विशेष वैधानिक योजना या प्रतिमान। यह फिर से पूरी तरह से होगा

यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां इस तरह के अधीन हैं

वैधानिक निषेध व्यक्त करें। यह इस विचार को व्यक्त करेगा कि

विचार को व्यक्त करने का उचित तरीका यह है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और किसी कारण या मामले के "पूर्ण न्याय" की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, शीर्ष न्यायालय कुछ प्रावधानों के आधार पर किसी भी ठोस वैधानिक प्रावधान में स्पष्ट निषेधों पर ध्यान देगा। सार्वजनिक नीति के मौलिक सिद्धांत और अभ्यास को विनियमित करना

अपनी शक्ति और विवेक के अनुसार। प्रस्ताव नहीं है

अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है, लेकिन केवल

किसी कारण या मामले का 'पूर्ण न्याय' क्या है या क्या नहीं है और शक्ति के प्रयोग के औचित्य के अंतिम विश्लेषण में। नहीं। अधिकार क्षेत्र की कमी या शून्यता का सवाल उठ सकता है।

11. क्या यह अनुपात इस न्यायालय के पहले के निर्णयों 20 के साथ संघर्ष में है, जिसमें प्रेम चंद गर्ग और एक अन्य v शामिल हैं। उत्पाद शुल्क

आयुक्त, यू. पी. और अन्य ", जिसमें पाँच न्यायाधीश संविधान पीठ ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस शक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से आदेश देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

व्यक्त वैधानिक प्रावधान या मूल कानून के साथ असंगत, किसी भी संवैधानिक प्रावधान के साथ बहुत कम असंगत, इस न्यायालय के अन्य पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में जांच की गई थी। भारत संघ और अन्य 22, यह अवलोकन करने के लिए कि संघ कार्बाइड निगम (उपरोक्त) और अन्य मामलों में स्पष्ट किए गए अनुपात का कोई टकराव नहीं था। यह कहना एक बात है कि प्रतिबंध या सीमाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के रास्ते में नहीं आ सकती हैं ताकि दोनों के बीच 'पूर्ण न्याय' किया जा सके। 20 ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और दूसरा, (1988) 2 एस. सी. सी. 602; दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली बनाम। गुजरात राज्य और अन्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 406; और मोहम्मद अनीस बनाम। भारत संघ और अन्य, 1994 पूरक। (1) एससीसी 145। मोहम्मद अनीस के मामले में, यह न्यायालय, सार्वजनिक नीति के पहलू को स्पष्ट करते हुए और उजागर करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने के लिए कब काम करेगा, यह टिप्पणी करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति को देखते हुए, जो एक अलग गुणवत्ता और स्तर की है, सामान्य कानूनों में निहित प्रावधानों पर निषेध या सीमाएं वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्ति पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं। निर्णय में कहा गया है कि केवल एक बड़ी पीठ का संदर्भ इस न्यायालय को किसी दिए गए मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से प्रतिबंधित नहीं करता है।

21 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996।

22 (1998) 4 एससीसी 409।

उस कानून से उत्पन्न होने वाले लंबित 'कारण या मामले' में पक्षकार, लेकिन यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय इस विषय से संबंधित क़ानून के मूल प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी कर सकता है और किसी ऐसे मुद्दे के बारे में आदेश पारित कर सकता है जिसका निपटारा केवल क़ानून में निर्धारित तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। 23 ये टिप्पणियां राज्य विधिज्ञ परिषदों को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में थीं -

अधिवक्ता अधिनियम, 1961, जिसे, पहली बार में, यह तय करने का अधिकार है कि क्या कोई अधिवक्ता पेशेवर कदाचार का दोषी है

उनके दूषित आचरण की गंभीरता और प्रकृति। इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (ऊपर) में इस बात पर प्रकाश डाला है कि अवमानना में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत राज्य बार काउंसिलों का अधिकार क्षेत्र अलग है और

अलग-अलग, और अलग-अलग और अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करके प्रयोग किया जा सकता है। अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विशेष रूप से अदालतों के पास निहित है, जबकि पेशेवर कदाचार के लिए एक वकील को दंडित करने की शक्ति संबंधित राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास निहित है। इस संदर्भ में, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (उपरोक्त) के निम्नलिखित अंशों को उद्धृत करना चाहेंगेः

" 47. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में निहित हैं और इसके पूरक हैं -

वे शक्तियाँ जो विशेष रूप से न्यायालय को प्रदान की गई हैं

हालाँकि विभिन्न क़ानून उन क़ानूनों द्वारा सीमित नहीं हैं। ये शक्तियाँ क़ानूनों से स्वतंत्र रूप से भी मौजूद हैं।

पक्षों के बीच पूर्ण न्याय। ये शक्तियाँ बहुत व्यापक आयाम की हैं और पूरक शक्तियों की प्रकृति में हैं।

यह शक्ति एक अलग और स्वतंत्र आधार के रूप में मौजूद है

क़ानूनों के अलावा अधिकार क्षेत्र। यह नींव पर खड़ा है

और मुकदमे की प्रक्रिया में अन्याय को रोकने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इसके अभ्यास का आधार एक अलग और शायद इससे भी व्यापक आधार पर रखा जा सकता है। यह पूर्ण अधिवेशन

इस प्रकार, अधिकारिता शक्ति का अवशिष्ट स्रोत है जिसे यह न्यायालय जब भी न्यायसंगत और न्यायसंगत हो और विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्राप्त कर सकता है।

कानून के अनुसार न्याय देना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य सभी शक्तियों के लिए एक अपरिहार्य सहायक और इससे मुक्त है

23 किसी मामले में शक्ति के अस्तित्व और शक्ति के उचित प्रयोग के बीच भी अंतर है, जिस पहलू की हमने बाद में पैराग्राफ 20 में जांच की है।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

अधिकार क्षेत्र का संयम और एक मूल्यवान हथियार के रूप में काम करता है "न्याय की धारा के अवरोध या बाधा" को रोकने के लिए न्यायालय के हाथ। हालाँकि, यह याद रखने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 142 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ उपचारात्मक प्रकृति की हैं।

इसे ऐसी शक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी कारण से निपटने के दौरान वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी करने के लिए अधिकृत करती हैं। इस शक्ति का उपयोग मामले में लागू मूल कानून या न्यायालय के विचाराधीन कारण को "प्रतिस्थापित" करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142, इसके आयाम की चौड़ाई के साथ भी, एक नई इमारत के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जिसे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक अवमानना करने वाले अधिवक्ता को दंडित करना, अदालत की अवमानना के मामले में उसके वकालत करने के लाइसेंस को निलंबित करते हुए, एक ऐसी शक्ति जो अन्यथा वैधानिक रूप से केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए उपलब्ध है।

मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के परस्पर विरोधी दावे उसके सामने किसी कारण या पदार्थ में "क्रीज़"। वास्तव में यह न्यायालय केवल विवाद-निपटान के सीमित अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्थापित है कि यह न्यायालय हमेशा एक कानून निर्माता रहा है और इसकी भूमिका केवल विवाद-निपटान से परे है। यह एक

" समस्या-अस्पष्ट क्षेत्रों में समाधानकर्ता "लेकिन किसी दिए गए मामले के विषय-विषय से निपटने वाले मूल वैधानिक प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत आदेश देते समय पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, ये संवैधानिक शक्तियाँ किसी भी मामले में ऐसा नहीं कर सकतीं।

वैसे, किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया जाए लेकिन उसी [2023] 5 एस. सी. आर.

इन शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब उनकी

के साथ स्पष्ट रूप से निपटने वाले क़ानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है विषय "।

12. हमें, इस स्तर पर, जैसा कि यूनियन कार्बाइड में देखा गया है

निगम (ऊपर), भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली संवैधानिक शक्ति और सी. पी. सी. की धारा 151 द्वारा मान्यता प्राप्त दीवानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति और धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बीच अंतर करें, जो प्रावधान दीवानी मामलों में दीवानी अदालत और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने के लिए सशक्त बनाते हैं जो आवश्यक हो सकते हैं।

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। 'न्याय के अंत' अभिव्यक्ति कानून के चारों कोनों के भीतर जनता के सर्वोत्तम हित को संदर्भित करती है, हालांकि अदालतों को सी. पी. सी. और Cr.P.C में प्रदान किए गए कानून के विशेष पहलू पर प्रक्रिया के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। जहां सी. पी. सी. और Cr.P.C हैं।

भविष्य में मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाली सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार करने में सक्षम और परिणामस्वरूप उनके लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। इस प्रकार, सी. पी. सी. और आई. डी. 1. को 'न्याय के उद्देश्यों' के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए क्रमशः दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। 26 संवैधानिक इस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति

न्यायालय सी. पी. सी. के तहत दीवानी न्यायालय और Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय के पास निहित अंतर्निहित शक्ति की प्रतिकृति नहीं है।

13. इस न्यायालय की उपरोक्त पृष्ठभूमि और निर्णयों को देखते हुए, अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय को पूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ शक्ति प्रदान की गई है।

142 (1) भारत के संविधान का, प्रतीत होता है कि कोई बाधा नहीं है, या

25 कानून पर यह कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए, यदि अधिक सत्य नहीं है, तो समान रूप से सत्य है। 26 भीम सिंह बनाम में विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णय। कान सिंह, 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 326; नागेन कुंडू बनाम। सम्राट, 1934 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 12; और छैल दास बनाम। हरियाणा राज्य, 1974 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 246, Cr.P.C के संबंध में, यह मानता है कि शिल्पा शैलेश बनाम.

वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

संयम से बंधे, जिसका प्रयोग सामान्य और विशिष्ट सार्वजनिक नीति के मौलिक विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति की मौलिक सामान्य शर्तें भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और अन्य बुनियादी विशेषताओं को संदर्भित करती हैं। विशिष्ट सार्वजनिक नीति को कुछ व्यक्त पूर्व-प्रतिष्ठित के रूप में समझा जाना चाहिए।

किसी भी मूल कानून में निषेध, और किसी विशेष वैधानिक योजना के लिए शर्तों और आवश्यकताओं को नहीं। इसे कानून के मूल में एक मौलिक और गैर-अपमानजनक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कठोरतम अर्थों में भी 27, इस बात पर कभी संदेह या बहस नहीं की गई कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत प्रक्रिया के प्रासंगिक प्रावधानों से बंधे बिना 'पूर्ण न्याय' करने का अधिकार है, यदि यह

Cr.P.C. को एक प्रावधान द्वारा कवर किए जाने पर संपूर्ण माना जाता है, लेकिन जहां कोई मामला उत्पन्न होता है जो विवेकाधिकार के प्रयोग की मांग करता है, जो इन प्रावधानों के भीतर नहीं है कि <आई. डी. 1..... उच्च न्यायालय को Cr.P.C की धारा 482 के तहत प्रदत्त विशिष्ट शक्ति के बावजूद, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत सहित प्रत्येक आपराधिक अदालत के पास यह शक्ति है।

27 कुछ न्यायविदों का मानना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्तियों पर निर्णयों को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1980 के दशक के अंत तक का पहला चरण प्रेम चंद गर्ग (ऊपर) और ए. आर. अंतुले (ऊपर) के निर्णयों में परिलक्षित होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्देश विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल और उल्लंघन में नहीं होने चाहिए और प्रक्रिया के नियमों से विचलन तक सीमित हैं। इसके अलावा, निर्देश को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिस प्रस्ताव पर कभी संदेह नहीं किया गया है और जो दूसरे और तीसरे चरण में अच्छा है। दूसरे चरण की नींव आई. सी. गोलक नाथ (उपरोक्त) में इस न्यायालय की 11-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के अनुपात में है, जो संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 32,141 और 142 इतने व्यापक और लोचदार शब्दों में जुड़े हुए हैं कि इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानूनी सिद्धांत तैयार करने में सक्षम बनाता है, जिस पर एकमात्र सीमा तर्क, संयम और अन्याय है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ (ऊपर) में, इस न्यायालय का मानना है कि कोई भी निषेध या

तदनुसार विवेकाधिकार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (उपरोक्त) का निर्णय, सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण को लागू करता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अनुच्छेद 142 प्रकृति में उपचारात्मक और संवैधानिक शक्ति होने के कारण किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने या सीधे कानून में जो स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, उसके साथ टकराव में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, यह अवलोकन करता है कि यह न्यायालय सामान्य रूप से विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान को खारिज नहीं करेगा, सिवाय इसके कि शायद पक्षकारों के परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करने के लिए उसके सामने एक 'कारण या मामले' में 'दरारों को दूर करने' के लिए। [देखिए-रजत प्रधान, (2023) 5 एस. सी. आर. को इस्त्री करते हुए।

संतुष्ट हैं कि उक्त प्रक्रिया से प्रस्थान करना आवश्यक है

' पक्षों के बीच पूर्ण न्याय। 28 न्यायशास्त्र के संदर्भ में प्रक्रियात्मक और मूल कानून के बीच का अंतर विवादास्पद है, हालांकि वर्तमान निर्णय में गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्ति के संदर्भ में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी निषिद्ध है जब अभ्यास एक आदेश पारित करना है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रावधानों द्वारा वर्जित है।

सामान्य या विशिष्ट सार्वजनिक नीति के मौलिक विचारों पर आधारित मूल कानून। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में समझाया गया है

(ऊपर), भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग उपचारात्मक प्रकृति का होने के कारण, यह न्यायालय सामान्य रूप से विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान की अनदेखी या अवहेलना करते हुए कोई आदेश पारित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि मुकदमेबाज पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करने के लिए उसके सामने किसी 'कारण या मामले' में दरारों को दूर करके। इस अर्थ में, यह न्यायालय प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार का मंच नहीं है जब वह किसी 'कारण या मामले' में विवाद का फैसला करता है और उसका निपटारा करता है। हालांकि यह न्यायालय एक नई इमारत का निर्माण करके मूल कानून का स्थान नहीं ले सकता है, जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, या स्पष्ट मूल वैधानिक कानून प्रावधानों की अनदेखी करके, यह अस्पष्ट क्षेत्रों में एक समस्या-समाधानक है। जब तक 'पूर्ण न्याय'

'कारण या विषय' द्वारा आवश्यक सामान्य या विशिष्ट सार्वजनिक नीति के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना प्राप्त किया जाता है, अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति और विवेक का प्रयोग वैध है और भारत के संविधान के अनुसार है। यही कारण है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति परिभाषित और असंबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

किसी दी गई स्थिति के अनुरूप राहत को ढालने के लिए लोच। यह तथ्य कि शक्ति केवल इस न्यायालय को प्रदान की गई है, एक आश्वासन है कि इसका उपयोग उचित संयम और सावधानी के साथ किया जाएगा। 30

बनाएँः संविधान के अनुच्छेद 142 (1), (2011) 6 एन. एस. एल. आर. 1 को लागू करने की रूपरेखा की पुनः जांच करना; अनुच्छेद 142, (2021) 1 एस. सी. सी. जे.-30 के तहत "पूर्ण न्याय" को तर्कसंगत बनाना; और विरेंद्र कुमार, टिप्पणियाँ और टिप्पणियांः संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक विधानः संसद द्वारा उचित विधान के लिए एक व्यावहारिक संकेत, 54 जे. आई. एल. आई. (2012) 364]। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) में वर्णित अनुपात अच्छा है और लागू होता है।

देखें-प्रेम चंद गर्ग (ऊपर), अनुच्छेद 13।

29 तथापि, इस पहलू की कुछ हद तक पैराग्राफ 16 से 22 और 30 इंफ्रा में जांच की गई है। 30 देखें-दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। स्किपर कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड और एक अन्य, (1996) 4 एस. सी. सी. 622।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हिंदू विवाह और तलाक।

14. हिंदू विवाह को पारंपरिक रूप से एक पवित्र मिलन माना जाता है; एक भक्तिपूर्ण संबंध जो अनंत काल तक चलता है। हिंदू विवाह अधिनियम

धारा 13 में उल्लिखित आधारों पर तलाक की डिक्री देकर हिंदू विवाह के विघटन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों से गुजर चुके हैं।

समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन। धारा 13 (1) (i-a) को क्रूरता के मामलों में तलाक का प्रावधान करने के लिए विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अधिनियमित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी को आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पेश किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जहां यह सवाल उठता है कि क्या समाज से अलग होने का उचित बहाना है, तो उचित बहाना साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा जो समाज से इस तरह से अलग हो गया है। उक्त संशोधन का प्रभाव, जैसे -

नीचे ध्यान दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) (ए) की कठोरता को आंशिक रूप से कम करता है, जो यह निर्धारित करता है कि न्यायालय, जबकि

यह जांच करना कि क्या राहत देने के लिए कोई आधार मौजूद है, संतुष्ट किया जाना चाहिए

कि याचिकाकर्ता, किसी भी तरह से, ऐसी राहत के उद्देश्य से अपनी गलती या अक्षमता का लाभ नहीं उठा रहा है।

15. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी निम्नानुसार हैः

विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68), इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं और वे पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख के छह महीने से पहले और उक्त तारीख के अठारह महीने के बाद दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, यदि याचिका इस बीच वापस नहीं ली जाती है, तो अदालत पक्षों को सुनने के बाद और उसके बाद संतुष्ट होगी।

31 1976 का अधिनियम 68, डब्ल्यू. ई. एफ. 27.05.1976।

ऐसी जाँच करना जो वह उचित समझे, कि विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में किए गए कथन सत्य हैं, डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करने वाली तलाक की डिक्री।

16. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (1) में कहा गया है कि पूरा होने पर पक्षों द्वारा संयुक्त याचिका पर तलाक की डिक्री दी जा सकती है। निम्नलिखित शर्तों में से:

(क) पक्षकार एक अवधि से अलग रह रहे हैं।

याचिका प्रस्तुत करने से एक वर्ष या उससे अधिक पहले;

(ख) वे एक साथ नहीं रह पाए हैं; और

(ग) वे पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं कि विवाह होना चाहिए

विघटित।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि पहला प्रस्ताव पारित होने के बाद दंपति/पक्षों को

यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो छह महीने के बाद और पहले प्रस्ताव के अठारह महीने के बाद नहीं, तो दूसरे प्रस्ताव के साथ अदालत में जाएँ। पहले प्रस्ताव के छह महीने बीतने से पहले पक्षों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब दूसरा प्रस्ताव दायर किया जाता है, तो अदालत को एक जांच करनी होती है, और इस संतुष्टि पर कि याचिका में किए गए कथन सही हैं, तलाक की डिक्री दी जाती है। स्पष्ट रूप से, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (2) को शामिल करने के पीछे विधायी इरादा यह है कि दंपति/पक्ष के पास विवाह के लिए समय होना चाहिए।

आत्मनिरीक्षण करें और दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले अलग होने के निर्णय पर विचार करें। हालांकि, असाधारण कठिनाई के मामले हैं, जहां कुछ वर्षों की तीखी मुकदमेबाजी और लंबे समय तक पीड़ा के बाद, पक्षकार, एक नई शुरुआत करने के लिए, संयुक्त रूप से विवाह को भंग करने के लिए अदालत से प्रार्थना करते हैं, और दूसरा प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता से छूट की मांग करते हैं। एक-दूसरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपरिवर्तनीय मतभेदों, आरोपों और आक्षेपों के कारण, और कुछ मामलों में आपराधिक मामलों सहित कई मुकदमों के कारण, वैवाहिक संबंध को जारी रखना असंभव है। तलाक अपरिहार्य है, और छह महीने की ठंडक अवधि, यदि बिल्कुल भी हो, तो बिना किसी लाभ और लाभ के दुख और दर्द पैदा करती है। ये ऐसे मामले हैं जहां हिंदू विवाह अधिनियम की उप-धारा (2) से धारा 13-बी के पीछे जल्दबाजी और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचाव का उद्देश्य और उद्देश्य प्रश्नगत नहीं है और छह महीने के अंतराल के बाद दूसरे प्रस्ताव के साथ अदालत में जाने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता समझौते में बाधा के रूप में कार्य करती है। कभी-कभी, शिल्पा शैलेश का भुगतान v.

वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

गुजारा भत्ता और स्थायी एकमुश्त रखरखाव में देरी हो जाती है, जबकि चिंता और संदेह बना रहता है। यहाँ, प्रक्रिया को एक रास्ता देना चाहिए मुकदमेबाजी को समाप्त करने में पक्षों का व्यापक सार्वजनिक और व्यक्तिगत हित, और तलाक की औपचारिक डिक्री पारित करने से होने वाले दर्द और दुख, जैसा कि वास्तव में विवाह बहुत पहले समाप्त हो गया था।

17. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (2) के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, यह न्यायालय अमरदीप सिंह बनाम. हरवीन कौर ने सवाल किया कि क्या छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि अनिवार्य है या विवेकाधीन है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कूलिंग ऑफ अवधि को अदालत द्वारा माफ किया जा सकता है जहां अदालतों में कार्यवाही लंबे समय से लंबित है, ये असाधारण स्थितियों के मामले हैं। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 14. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत निहित प्रतीक्षा अवधि निर्देशिका है और इसे उस अदालत द्वारा माफ किया जा सकता है जहां कार्यवाही लंबित है। असाधारण परिस्थितियाँ। के. ओमप्रकाश बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। के. नलिनी, रूपा रेड्डी बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय। प्रभाकर रेड्डी, धनजीत वाड्रा बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय। बीना वाड्रा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनेश कुमार शुक्ला बनाम. नीता। केरल उच्च न्यायालय ने एम. कृष्ण प्रीता बनाम मामले में इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। जयन मूरकनाट। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 13-बी (1) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और याचिका केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब पक्षकार एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे हों और वे एक साथ नहीं रह पाए हों और इस बात पर सहमत हों कि विवाह को भंग कर दिया जाए। धारा 13-बी (2) प्रक्रियात्मक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अवधि को माफ करने का विवेकाधिकार न्याय के हित पर विचार करके एक निर्देशित विवेकाधिकार है जहां सुलह की कोई संभावना नहीं है और पक्ष पहले से ही लंबी अवधि के लिए अलग हो गए थे या धारा 13-बी (2) में उल्लिखित अवधि से अधिक समय के लिए कार्यवाही लड़ रहे थे। इस प्रकार,

अदालत को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिएः

((i) पार्टियों की शादी कितने समय से हुई है?

((ख) मुकदमा कितने समय से लंबित है?

(iii) वे कितने समय से अलग रह रहे हैं?

32 (2017) 8 एससीसी 746।

क्या पक्षों के बीच कोई अन्य कार्यवाही है?

((iv) (v)

क्या पक्षों ने मध्यस्थता/सुलह में भाग लिया है?

(vi)

क्या पक्षकार वास्तविक समझौते पर पहुँच गए हैं जो लेता है
गुजारा भत्ता, बच्चे की हिरासत या किसी अन्य लंबित मुद्दे की देखभाल
पार्टियों के बीच?

XX

XX

XX

19. वर्तमान स्थिति में उपरोक्त को लागू करते हुए, हम हैं
विचार करें कि जहां किसी मामले से निपटने वाले न्यायालय का समाधान होता है कि
धारा के तहत वैधानिक अवधि को माफ करने के लिए मामला बनाया गया है
13 - बी (2), यह निम्नलिखित पर विचार करने के बाद ऐसा कर सकता हैः

धारा में निर्दिष्ट छह महीने की वैधानिक अवधि

((i)

13 - बी (2) के तहत एक वर्ष की वैधानिक अवधि के अलावा
दलों के अलगाव की धारा 13-बी (1) पहले ही समाप्त हो चुकी है।
पहले गति से पहले;
शर्तों में प्रयासों सहित मध्यस्थता/सुलह के लिए सभी प्रयास

((ख)

और उस दिशा में सफलता की कोई संभावना नहीं है आगे के प्रयास;

(111) दलों ने वास्तव में अपने मतभेदों को सुलझा लिया है जिनमें शामिल हैं -

गुजारा भत्ता, बच्चे की अभिरक्षा या उनके बीच कोई अन्य लंबित मुद्दे

दलों को;

((iv)

प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी।

छूट का आवेदन पहले प्रस्ताव के एक सप्ताह बाद दायर किया जा सकता है। क्षमा की प्रार्थना के लिए कारण बताना। यदि उपरोक्त शर्तें

संतुष्ट हैं, दूसरे प्रस्ताव के लिए प्रतीक्षा अवधि की छूट

यह संबंधित अदालत के विवेक में होगा।

समय अंतराल पक्षों को विचार करने, विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए है।

सुविचारित निर्णय लें। कूलिंग ऑफ अवधि का उद्देश्य है

पहले से ही विघटित विवाह को फैलाने के लिए, या पीड़ा को बढ़ाने के लिए

जब शादी की कोई संभावना नहीं होती है तो पार्टियों का झगड़ाबाहर निकलते हैं। इसलिए, एक बार बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है

आयु और पुनर्मिलन और सहवास की कोई संभावना नहीं रहती है,

हम पार्टियों को एक बेहतर विकल्प का लाभ उठाने में सक्षम बनाने में असमर्थ नहीं हैं, और यह तलाक देने के लिए है। छूट केवल पूछने पर नहीं दी जानी चाहिए, शिल्पा शैलेश बनाम।

वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

लेकिन अदालत को संदेह से परे संतुष्ट होने पर कि शादी मरम्मत से परे टूट गई है। अमरदीप सिंह (ऊपर) में निर्णय कई प्रश्नों को संदर्भित करता है जो अदालत किसी न किसी तरह से आदेश पारित करने से पहले पूछेगी। हालाँकि, यह निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) की व्याख्या पर आगे बढ़ता है, और यह जांच नहीं करता है कि क्या यह न्यायालय एक समझौते को रिकॉर्ड पर ले सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से समझौता और तलाक देना।

18. हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस न्यायालय ने बहुत बार ऐसा किया है

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदनों/प्रार्थनाओं पर विचार किया गया और पक्षकारों को निचली अदालत के समक्ष संयुक्त प्रस्ताव पेश करने के लिए कहे बिना तलाक का फरमान पारित किया गया। ऐसे मामलों में, पक्षकारों के बीच अन्य लंबित कार्यवाहियों, दीवानी और आपराधिक, से निपटारे के संदर्भ में उचित रूप से निपटा जाता है, और तदनुसार निर्णय लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब न्यायिक कार्यवाही में पारित अंतरिम या अंतिम आदेश के खिलाफ या इस न्यायालय के समक्ष दायर की जा रही स्थानांतरण याचिका पर इस न्यायालय में कार्यवाही लंबित होती है। पक्ष विवाह को भंग करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं, हालांकि कई अवसरों पर वे समझौता करते हैं, अक्सर इसके माध्यम से

विवाद समाधान का बेहतर तरीका समाधान है, न कि मुकदमेबाजी। 33 19. ऐसे मामलों में इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्पष्ट रूप से 'पूर्ण' करने की अनुमति है।

न्याय 'एक' कारण या मामले 'के लिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह न्यायालय एक आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जिसे एक पारिवारिक न्यायालय, निचली अदालत या उच्च न्यायालय पारित कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के अनुसार, एक आदेश

इस न्यायालय द्वारा पारित या किया गया आदेश पूरे न्यायालय में निष्पादन योग्य है।

भारत का क्षेत्र। 3 4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्ति निश्चित रूप से 'पूर्ण न्याय' करने की इस शक्ति को शामिल करेगी, भले ही मुख्य मामला/कार्यवाही पारिवारिक न्यायालय, निचली अदालत या किसी अन्य न्यायिक मंच के समक्ष लंबित हो। विषय-वस्तु अधिकारिता की कमी का कोई प्रश्न या मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है। वैवाहिक मामलों में निपटान हमेशा कई कानूनी कार्यवाही को समाप्त करते हैं, जिनमें शामिल हैं -

33 सी. पी. सी. की धारा 89 और परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 देखें। 34 देखें-उच्चतम न्यायालय (फरमान और आदेश) प्रवर्तन आदेश, 1954 (C.O.47)।

उचित राहत और बंद करने और मामलों के निपटान और/या खारिज करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयों में। इससे अदालतों पर सूचीकरण, कागजी कार्य, औपचारिकताओं का पालन, सत्यापन आदि के रूप में बोझ पड़ता है। समानान्तर रूप से, पक्षों को लागत वहन करनी पड़ती है, कई मंचों/अदालतों के समक्ष पेश होना पड़ता है और अंतिम आदेशों में देरी होती है जिससे चिंता और आशंका होती है। इस अर्थ में, जब यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह न्याय के उद्देश्य में सहायता और सहायता करता है।

20. हालाँकि, किसी शक्ति के अस्तित्व और किसी दिए गए मामले में उस शक्ति के प्रयोग के बीच अंतर है। आम तौर पर शक्ति का अस्तित्व है

कानून का मामला है, जबकि शक्ति का प्रयोग कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है। यहां तक कि जब आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करने की शक्ति मौजूद है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो कब और किन मामलों में 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे शक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

इस विवेकाधिकार का प्रयोग वैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य की अनदेखी किए बिना, वस्तुनिष्ठ मानदंडों और कारकों पर मूल्यांकन किए गए विशेष मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर किया जाना चाहिए। अमित कुमार बनाम। सुमन बेनीवाल 35, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (1) और (2) को पढ़ने से आपसी सहमति से तलाक की डिक्री देने के लिए अलग होने की तारीख से कुल डेढ़ साल की प्रतीक्षा अवधि/अंतराल की परिकल्पना की गई है। एक बार अलग होने की तारीख से डेढ़ साल की प्रतीक्षा अवधि/अंतराल की शर्त पूरी हो जाने के बाद, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षों के पास विचार करने, प्रतिबिंबित करने और इस पर एक सचेत निर्णय लेने का समय था कि क्या उन्हें वास्तव में अलग होने का निर्णय लेना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट में जाएँ। अमित कुमार (ऊपर) के मामले में इस अदालत ने कहा है कि अमरदीप में छह कारकों/प्रश्नों का उल्लेख करने के अलावा सिंह (ऊपर), इस न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि क्या पक्षकार स्वतंत्र रूप से, अपनी मर्जी से, और बिना किसी जबरदस्ती या दबाव के एक वास्तविक समझौते पर पहुंचे हैं जो गुजारा भत्ता, यदि कोई हो, तो बच्चों के रखरखाव और अभिरक्षा आदि का ध्यान रखता है।

35 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 1270।

21. हमारी राय में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी इस न्यायालय की डिक्री देने की शक्तियों पर कोई बाधा नहीं लगाती है -

एक संयुक्त आवेदन पर पारस्परिक सहमति से तलाक, जब धारा की मूल शर्तों को पूरा किया जाता है और न्यायालय, ऊपर उल्लिखित कारकों का उल्लेख करने के बाद, आश्वस्त होता है और राय रखता है कि तलाक की डिक्री दी जानी चाहिए।

समझौता, जैसा कि सी. पी. सी. की धारा 89, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (2) और परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, 1984. यह देखते हुए कि विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कई कानून हैं, भले ही विवाद का कारण समान या समान हो, अधिकांश वैवाहिक विवाद आपराधिक मामलों सहित कई मामलों को जन्म देते हैं, जो कभी-कभी वास्तविक होते हैं, और अन्य अवसरों पर क्रोध, चोट, क्रोध या सबक सिखाने के लिए गुमराह सलाह के कारण शुरू किए जाते हैं। की बहुलता

मुकदमेबाजी समाधानों को प्रतिबंधित और अवरुद्ध कर सकती है, क्योंकि एक समझौता समग्र और व्यापक होना चाहिए, यह देखते हुए कि उद्देश्य और उद्देश्य पक्षों को एक साथ रहने और एक साथ रहने में सक्षम बनाना है, या यदि वे अलग होने का फैसला करते हैं, तो एक नई शुरुआत करने और शांति से रहने के लिए बसने के लिए। इसलिए, बी. एस. जोशी और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 3,6, यह न्यायालय, इसके बावजूद कि Cr.P.C की धारा 320 अनुमति नहीं देता है।

आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत किसी अपराध के शमिल होने पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय, आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, गैर-शमिल अपराधों में भी अभियोजन को रद्द कर सकता है जब -

न्याय के अंत की आवश्यकता होती है। ज्ञान सिंह बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार की पुष्टि की है। पंजाब राज्य और अन्य 3 7 और जितेंद्र रघुवंशी और अन्य बनाम मामले में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया। बबीता रघुवंशी और अन्य 3 8। इसका कारण यह है कि अदालतों को वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और इस तरह के मुकदमेबाजी का लंबा होना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है जो अपनी कम उम्र खो देते हैं।

कई मुकदमों का पीछा करने में। इस प्रकार, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाना विपरीत-उत्पादक हो सकता है क्योंकि विचाराधीनता स्वयं दर्द, पीड़ा और पीड़ा का कारण बनती है। उत्पीड़न और इसके परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि वैवाहिक मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाए, जिससे पीड़ा आए,

दुःख, और अंत तक पीड़ा। इस संबंध में, अदालतों को केवल

36 (2003) 4 एससीसी 675। 37 (2012) 10 एससीसी 303।

38 (2013) 4 एससीसी 58.

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूछताछ करें और सुनिश्चित करें कि पक्षों के बीच समझौता दबाव, बल, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या अनुचित प्रभाव के बिना प्राप्त किया गया है, और यह कि सहमति वास्तव में स्वतंत्र इच्छा और पसंद द्वारा मांगी गई है, और पार्टियों की स्वायत्तता से समझौता नहीं किया गया है। ज्ञान सिंह (ऊपर) और जितेंद्र रघुवंशी और अन्य में बाद के दो निर्णय

(उपर्युक्त) यह मत रखिए कि आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। लक्ष्मी नारायण और अन्य ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि उच्च न्यायालय कब Cr.P.C की धारा 320 के संदर्भ में गैर-शमनीय अपराधों को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए और

चर्चा, यह न्यायालय, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करते समय, आपराधिक मामलों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (ओं) सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को अलग कर सकता है और रद्द कर सकता है, बशर्ते शर्तों को प्रदान किया जाए, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है

उपरोक्त निर्णय संतुष्ट हैं।

अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की मंजूरी

अधिकारिता और शक्ति के प्रयोग में विवाह

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 (1)।

23. यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है कि क्या यह न्यायालय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग, तलाक की डिक्री दे सकता है, जब पति या पत्नी में से किसी एक की प्रार्थना पर, यह संतुष्ट हो जाता है कि तलाक का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना है। विवाह, दूसरे पति या पत्नी द्वारा ऐसी प्रार्थना के विरोध के बावजूद?

24. अधिनियम द्वारा अधिनियमित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a)

25 मई 1976 से प्रभावी 1976 का सं. 68 इस प्रकार हैः

" 13 तलाक हो गया। - (1) कोई भी विवाह, चाहे उससे पहले हो या

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, प्रस्तुत की गई याचिका पर

पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा, एक डिक्री द्वारा भंग किया जाए

इस आधार पर तलाक कि दूसरा पक्ष

XX

XX

X

X

39 (2019) 5 एससीसी 688।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

(i-a) विवाह के अनुष्ठान के बाद,

क्रूरता के साथ याचिकाकर्ता; या

XX

XX

X

X

इस प्रावधान को अक्सर खंड (ए) से धारा के साथ पढ़ना पड़ता है।

23 (1) हिंदू विवाह अधिनियम, जिसका मूल भाग 1955 के अधिनियम संख्या 25 के माध्यम से मुख्य अधिनियम के एक भाग के रूप में अधिनियमित किया गया था, और पढ़ता हैः

" 23. कार्यवाहियों में आदेश। — (1) अधीन किसी भी कार्यवाही में

यह अधिनियम, चाहे बचाव किया गया हो या नहीं, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि

(क) राहत देने के लिए कोई भी आधार मौजूद है और याचिकाकर्ता

40 [उन मामलों को छोड़कर जहां उसके द्वारा राहत मांगी जाती है

उपखंड (ए), उपखंड (बी) या उपखंड में निर्दिष्ट आधार

धारा 5 के खंड (ii) का खंड (ग) किसी भी तरह से लेने में नहीं है। के उद्देश्य के लिए अपनी गलती या अक्षमता का लाभ

ऐसी राहत, और

X

X "

XX

XX

धारा 23 (1) (ए) के साथ पठित धारा 13 (1) (आई-ए) का कानूनी प्रभाव।

इसकी व्याख्या की गई है कि हिंदू विवाह अधिनियम 'दोष सिद्धांत' का आह्वान करता है, एक ऐसा पहलू जिसकी हम बाद में जांच करेंगे। सबसे पहले, हम 'क्रूरता' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।

25. एन. जी. दास्ताने बनाम एस. दास्ताने 1,1975 की शुरुआत में, एक तीन

इस न्यायालय की न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कहा कि तथ्य को स्थापित कहा जाता है यदि यह संभावनाओं की अधिकता से साबित होता है, यानी अदालत का मानना है कि यह मौजूद है या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए।

किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना कि यह मौजूद है। अक्सर, किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास संभावनाओं के संतुलन पर आधारित होता है, अर्थात, न्यायालय को किसी विशेष तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में प्रमुखता को समझने के लिए विभिन्न संभावनाओं को तौलना होता है। यह मानते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही दीवानी कार्यवाही है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह माना गया कि 'संतुष्ट' शब्द को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

40 ब्रैकेटेड भाग को 1976 के अधिनियम संख्या 68 के माध्यम से 27.05.1976 से लागू किया गया था। 41 (1975) 2 एससीसी 326।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'संभावनाओं की प्रधानता' पर संतुष्टि का अर्थ है न कि 'एक उचित संदेह से परे'। विवाह के विघटन के आधार के रूप में 'क्रूरता' के अर्थ पर, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स एंड में डी. टॉल्स्टॉय के मार्ग पर उच्च न्यायालय की निर्भरता का संदर्भ दिया गया था।

वैवाहिक कारण। इसमें, 'क्रूरता' को ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से खतरे का कारण बनता है, या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने महसूस किया कि डी. टॉल्स्टॉय का अंश, जिसमें हॉर्टन बनाम का हवाला दिया गया है। हॉर्टन 42, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पति-पत्नी पाते हैं एक साथ जीवन असंभव है, भले ही इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो। तदनुसार, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि स्वास्थ्य के लिए खतरा केवल इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि पति-पत्नी को एक साथ रहना असंभव लगता है और एक पक्ष दूसरे के प्रति उदासीन है, तो क्रूरता का आरोप शायद हो सकता है।

असफल हो जाते हैं। लेकिन, बचाव करने वाले जीवनसाथी का आचरण क्रूरता के बराबर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, कार्य-वृत्ति या इसी तरह के नुकसान या चोट महत्वपूर्ण विचार होंगे। याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी ने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है ताकि उनके मन में उचित आशंका पैदा हो कि प्रतिद्वंद्वी पति या पत्नी के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा। आज के संदर्भ में, दो टिप्पणियाँ, जबकि एक अदालत क्रूरता के आरोप की जांच करती है, कुछ महत्व की हैं। सबसे पहले, अदालत को वैवाहिक जीवन के तौर-तरीकों पर विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, आरोप साबित होता है या नहीं, यह इस सिद्धांत को लागू करके तय नहीं किया जा सकता है कि क्या समान रूप से स्थित एक उचित व्यक्ति समान तरीके से व्यवहार करेगा। एक के लिए जो क्रूर हो सकता है वह दूसरे के लिए मायने नहीं रखता है, और जो परिस्थितियों के एक समूह के तहत एक व्यक्ति के लिए क्रूर नहीं हो सकता है वह परिस्थितियों के दूसरे समूह के तहत अत्यधिक क्रूरता हो सकती है। क्रूरता व्यक्तिपरक है, अर्थात यह व्यक्ति है, पृष्ठभूमि है,

और परिस्थिति विशिष्ट।

26. वी. भगत बनाम डी. भगत ', जिसे 1993 में एन. जी. दास्ताने (सुप्रा) में निर्णय के 18 साल बाद घोषित किया गया था, एक जीवन देता है-जैसे

'क्रूरता' शब्द का विस्तार। यह मामला एक पति के बीच था जो

वे लगभग 55 वर्ष की आयु में एक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, और उनकी पत्नी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उपाध्यक्ष थीं, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष थी, उनके दो वयस्क बच्चे थे-पेशे से एक डॉक्टर और विदेश में काम करने वाले एक एमबीए डिग्री धारक। जीवन के व्यभिचारी पाठ्यक्रम, मानसिक संतुलन की कमी और रोगजनक रूप से संदिग्ध होने के आरोप 42 [1940] पी. 187. 43 (1994) 1 एससीसी 337।

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

चरित्र एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए थे। इस अदालत ने देखा कि तलाक की याचिका आठ साल से अधिक समय से लंबित थी, और इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई थी। बनाया गया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत विचार की गई क्रूरता मानसिक और शारीरिक दोनों है।

क्रूरता की व्यापक परिभाषा सबसे कठिन होगी। बचाव करने वाले पति या पत्नी के ज्ञान और इरादे, उनके आचरण की प्रकृति, पति या पत्नी के चरित्र और शारीरिक या मानसिक कमजोरी आदि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निंदनीय आचरण या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानकों से प्रस्थान का योग जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, या इसकी आशंका का कारण बनता है, क्रूरता का गठन करता है। लेकिन इन कारकों को स्वभाव और अन्य सभी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि जिस आचरण की शिकायत की गई है वह ऐसा है कि याचिकाकर्ता को इसे सहन करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह आगे विस्तार से बताया गया कि क्रूरता, मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में दोनों हो सकती है। वैवाहिक दायित्व और जिम्मेदारियाँ डिग्री में भिन्न होती हैं। वे प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं, और कथित क्रूरता जीवन की प्रकृति या उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। वे उस संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकते हैं जिन्हें पति-पत्नी महत्व देते हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं

दूसरे पति या पत्नी के अनजाने में लेकिन अक्षम्य आचरण द्वारा क्रूरता। इस प्रकार, क्रूरता करने के इरादे और क्रूरता के वास्तविक कार्य के बीच अंतर है, क्योंकि इरादे की अनुपस्थिति, किसी दिए गए मामले में, कोई फर्क नहीं डाल सकती है यदि शिकायत किए गए कार्य को अन्यथा क्रूर माना जाता है। इसलिए, जानबूझकर और जानबूझकर इरादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी. भगत (ऊपर) के फैसले का पैराग्राफ 16 इस प्रकार हैः

" 16. धारा 13 (1) (i-a) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को इस तरह की मानसिक पीड़ा देता है।

दर्द और पीड़ा के कारण उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अन्यायपूर्ण पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि

मानसिक क्रूरता ऐसी है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है।

याचिकाकर्ता। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते समय, सामाजिक स्थिति, पक्षों के शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे चलते हैं, कभी भी जीवित [2023] पक्षों की संभावना या अन्यथा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक साथ अगर वे पहले से ही अलग रह रहे हैं और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ जिन्हें न तो संभव है और न ही पूरी तरह से निर्धारित करना वांछनीय है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला मामला है। यदि यह आरोपों और आरोपों का मामला है, तो जिस संदर्भ में वे लगाए गए थे, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

वी. भगत (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ ने यह भी कहा है कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना कोई आधार नहीं है

तलाक के लिए, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ सकता है जबकि

व्यक्ति विशेष। 27. अशोक हुर्रा बनाम। रूपा बिपिन ज़वेरी 44 ने 1997 में फैसला सुनाया कि इस अदालत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जहां शादी टूट गई थी और 1983 में दंपति अलग हो गए थे। उनके पास कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं था, लेकिन पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसके अलावा, तेरह साल तक अलग रहने के बाद भी, दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत नहीं थे। इसमें था

इस तथ्य के बावजूद कि पति ने पुनर्विवाह किया था और उनका एक बच्चा था। इस न्यायालय का विचार था कि विभिन्न कारकों के संचयी प्रभाव और विवाह के मृत होने पर विचार करते हुए, अनिवार्यता को स्थगित करने में भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए, हालांकि पति का आचरण, यह देखा गया था, दोषपूर्ण था क्योंकि उसने कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पुनर्विवाह किया था और एक बच्चे की कल्पना की थी। आपसी सहमति से तलाक की इस डिक्री को पति द्वारा पत्नी को Rs.10,00,000/- के भुगतान पर सशर्त बनाया गया था। केवल न्यायालय में राशि के भुगतान या जमा करने पर, आई. पी. सी. की धारा 494 के तहत उन सभी कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाना था। 44 (1997) 4 एससीसी 226।

28. नवीन कोहली बनाम। नीलू कोहली ", इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कास्लेफ्स्की बनाम में लॉर्ड डेनिंग, एल. जे. की राय का उल्लेख किया। कास्लेफ्स्की 1 6 ने कहा कि यदि क्रूरता का द्वार बहुत व्यापक रूप से खोला जाता, तो अदालतें स्वभाव की असंगतता के लिए तलाक दे रही होतीं, लेकिन इस प्रलोभन का विरोध किया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि विवाह की संस्था खतरे में पड़ जाए। साथ ही पीठ ने महसूस किया कि कानूनी क्रूरता की अवधारणा सामाजिक अवधारणाओं और मानकों की प्रगति के अनुसार बदल गई है

जीने की। निरंतर दुर्व्यवहार, वैवाहिक संभोग की समाप्ति, अध्ययन की गई उपेक्षा, जीवनसाथी की ओर से उदासीनता और अनैतिकता के आरोप ऐसे सभी कारक हैं जो मानसिक या कानूनी क्रूरता का कारण बनते हैं। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक समूह हो सकता है

दूसरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टियां किस तरह की जीवन शैली या उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आदी हैं। इसी तरह, यह देखा गया कि इरादा मायने नहीं रखता था क्योंकि अनजाने में किए गए आचरण से भी क्रूरता हो सकती है। इसके अलावा, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है और उन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए जिनमें विवाह में दोनों साथी रह रहे थे। विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के सवाल पर, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है, दोष सिद्धांत का संदर्भ दिया गया था, जो तलाक के आरोप लगाने वाले सिद्धांत पर टिका हुआ है। न्यायाधीशों की राय है कि तलाक के आधार के रूप में गलती पर अत्यधिक निर्भरता, वैवाहिक अपराधों को प्रोत्साहित करती है, कड़वाहट बढ़ाती है और चौड़ी होती है

पार्टियों के बीच चल रही दरार। एक बार सुलह के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह पाया गया है कि अलगाव है अपरिहार्य है और क्षति अपूरणीय है, तलाक को रोका नहीं जाना चाहिए। एक अव्यवहारिक विवाह, जो प्रभावी होना बंद हो गया है, व्यर्थ है और पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होना तय है। तलाक का कानून मुख्य रूप से गलती निर्धारित करने पर बनाया गया है जो टूटी हुई शादियों को पूरा करने में विफल रहता है। दोष सिद्धांत के तहत, अपराध को साबित करना पड़ता है, और इसलिए, अदालतों को प्रतिकूल मानव के ठोस उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है।

45 (2006) 4 एससीसी 558। 46 (1950) 2 सभी ई. आर. 398।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. 2018 में, यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय, ओवेन्स बनाम में। ओवेन्स 47 के पास तलाक के आधार के रूप में दोष सिद्धांत का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का अवसर था, जिसके लिए एक पति या पत्नी को दूसरे के आचरण पर आरोप लगाने की आवश्यकता होती है। फैसले में कहा गया है कि अदालतें हमेशा शादी क्यों टूट गई, इसकी सच्चाई का पता लगाने में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। दोष को विभाजित करना एक स्वाभाविक रूप से कठिन कार्य है, इस तथ्य को देखते हुए कि अदालत को पति-पत्नी के आचरण में दोष ढूंढना पड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि उनमें न तो वीरतापूर्ण गुण हैं और न ही निस्वार्थ त्याग। जैसा कि व्यक्तिपरकता है

न्यायालयों को शिकायत किए गए आचरण की गंभीरता या अन्यथा का मूल्यांकन करने और सच्चाई का पता लगाने में मुश्किल होती है। लॉर्ड विल्सन, जिनके साथ लॉर्ड हॉज और लेडी ब्लैक सहमत थे, ने वैवाहिक कारण अधिनियम 1973 (इंग्लैंड और वेल्स के) की धारा 1 (2) (बी) की व्याख्या करने के लिए तीन गुना परीक्षण का उल्लेख किया था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या विवाह हुआ था।

अपरिवर्तनीय रूप से इस तरह से विभाजित किया गया है कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की यथोचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है; (i) याचिका में व्यवहार के आरोपों के संदर्भ में, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थी ने किया या नहीं किया; (ii) याचिकाकर्ता के व्यक्तित्व और स्वभाव और उन सभी परिस्थितियों के आलोक में विशेष याचिकाकर्ता पर व्यवहार के प्रभाव का आकलन करना जिसमें यह हुआ; और (iii) यह मूल्यांकन करना कि क्या प्रत्यर्थी के व्यवहार के परिणामस्वरूप और याचिकाकर्ता पर इसके प्रभाव के प्रकाश में, एक उम्मीद है कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी के साथ रहना जारी रखना चाहिए

अनुचित 48। लेडी हेल ने अपने फैसले में कहा कि खोज करना और दोष देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तलाक का आधार इस पर आधारित है -

आचरण करें, न कि दोष या तथ्य का पता लगाने के लिए कि पक्ष को दोषी ठहराया जाना है। दूसरी ओर, एक निश्चित अवधि के दौरान अधिनायकवादी, अपमानजनक और अपमानजनक आचरण का संकेत देने वाली बड़ी संख्या में छोटी घटनाओं का संचयी प्रभाव तलाक के लिए एक अच्छा आधार होगा। इस तरह का आचरण विवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक विश्वास और विश्वास को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा, व्यवहार के बजाय जीवनसाथी के व्यवहार का प्रभाव

47 (2018) यूकेएससी 41. 48 ये परीक्षण, उपयुक्त संशोधन के साथ, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत मामलों में अच्छी तरह से लागू किए जा सकते हैं।

स्वयं, दूसरे पति या पत्नी से सहवास की अपेक्षा करना अनुचित बनाना चाहिए; इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।

30. हमने ओवेन्स (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख किया है, जो इंग्लैंड और वेल्स में तत्कालीन कानून को लागू करता है, न कि एक मिसाल के रूप में, बल्कि

मृत विवाह को औपचारिक तलाक के रूप में वैधता देने के लिए शामिल व्यक्तियों सहित, अन्यथा मुकदमेबाजी, परिणामी पीड़ा, दुख और पीड़ा जारी रहेगी। इसलिए, दुर्लभ और असाधारण वैवाहिक मामलों में विवाद को हल करने और निर्णय लेने के लिए दोष और अधिक दोष को विभाजित करना नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के नियम प्रक्रिया के नियम हैं। जब जीवन जैसी स्थिति को निर्विवाद रूप से जाना जाता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के पीछे का सार और उद्देश्य यह है कि किसी भी पति या पत्नी को मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। क्रूरता और दुख और पीड़ा में जीना स्थापित हो जाता है। प्रक्रिया के इन नियमों को किसी 'कारण या मामले' में 'पूर्ण न्याय' के लिए रास्ता देना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा किसी विशेष मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए दोष सिद्धांत को कमजोर किया जा सकता है।

जब यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, तो लागू स्व-अधिरोपित प्रतिबंध का उल्लंघन किए बिना। 49. 31. इस समय हम मुनीश में इस पीठ के सदस्यों में से एक (संजय किशन कौल, जे.) द्वारा लिखे गए दो फैसलों का उल्लेख करेंगे।

49 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का स्पष्टीकरण, जिसमें कहा गया है, "जहां कोई सवाल उठता है कि क्या समाज से वापस लेने के लिए उचित बहाना है, तो उचित बहाना साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा जिसने समाज से वापस ले लिया है।

समाज ', हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (ए) की कठोरता को आंशिक रूप से कम करता है और इसके परिणामस्वरूप, दोष सिद्धांत।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कक्कड़ बनाम। निधि कक्कर्स और शिवशंकरन बनाम। संथिमीनल 51 1. मुनीश कक्कड़ (ऊपर) में, पक्षकार लगभग दो दशकों से तलाक की कार्यवाही सहित विभिन्न मुकदमों में लगे हुए थे। फिर भी, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक का विरोध किया। प्रतिवादी-पत्नी कनाडा में स्थित थी, जहाँ वह स्थानांतरित हो गई थी, और कथित तौर पर अवसाद के लिए दवा ले रही थी। अपीलार्थी-पति ने अकेलेपन और सह-निवास की कमी की शिकायत की, जिससे मानसिक और शारीरिक यातना हुई।

मध्यस्थता के कई प्रयास और सलाहकारों, मनोवैज्ञानिकों, पंचायत और यहां तक कि अदालतों द्वारा किए गए प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने पूरी तरह से विफल और टूटी हुई शादी की निरर्थकता को स्वीकार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग किया। यह देखते हुए कि कोई नहीं था

तलाक देने के लिए प्रत्यर्थी-पत्नी की सहमति से, न्यायालय ने महसूस किया कि उसकी ओर से अपीलार्थी-पति के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। विवाह में जो बचा था वह कड़वी यादें और गुस्सा था, जो समय बीतने के साथ बढ़ता गया, क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी तलाक की डिक्री प्राप्त करके अपीलार्थी-पति को अपना जीवन जीने देने के लिए अनिच्छुक थी। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति का प्रयोग किया

दलों के बीच। यह भी निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता-पति प्रतिवादी-पत्नी को प्रति माह निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना जारी रखेंगे, जिसे सहारा लेकर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

उचित कार्यवाही के लिए। 32. शिवशंकरन (ऊपर) में, शादी फरवरी 2002 में हुई थी, और लगभग एक साल बाद, तलाक की कार्यवाही शुरू की गई और 2008 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत तलाक की डिक्री पारित की गई। अपीलार्थी-पति ने तलाक की डिक्री पारित होने के छह दिनों के भीतर पुनर्विवाह कर लिया था। प्रत्यर्थी-पत्नी ने एक अपील दायर की और विवाद इस अदालत में पहुंचने तक लंबित रहा। मध्यस्थता और समाधान के माध्यम से विवाद को हल करने के प्रयास

पार्टियों के बीच कोई फल नहीं निकला। प्रत्यर्थी-पत्नी तलाक की डिक्री को स्वीकार करने के लिए प्रतिरोधी थी, भले ही वह जानती थी कि शादी केवल कागज पर थी। तलाक की डिक्री के बाद महिलाओं को सामाजिक स्वीकृति के रूप में होने वाली कठिनाइयों और वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता पर भी अवलोकन किए गए।

स्पष्ट किया। हालाँकि, यह न्यायालय, मुनीश में पहले के फैसलों पर भरोसा करता है

50 (2020) 14 एससीसी 657। 51 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 702।

विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह, हालांकि पत्नी के हित को भी आर्थिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उसे भविष्य में आर्थिक रूप से पीड़ित न होना पड़े और उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। तदनुसार, इस न्यायालय ने तलाक का आदेश पारित किया भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके।

33. ऐसा कहने के बाद, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की मंजूरी है

यह अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि एक विवेक है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने वाले कई कारकों को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों के लिए 'पूर्ण न्याय' किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए,

संबंध; क्या, और अदालत के हस्तक्षेप से या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, और अंतिम प्रयास कब किया गया था, आदि। अलगाव की अवधि होनी चाहिए पर्याप्त रूप से लंबा, और छह साल या उससे अधिक का कुछ भी एक प्रासंगिक कारक होगा। लेकिन इन तथ्यों का मूल्यांकन पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता, क्या पक्षकारों के कोई बच्चे हैं, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, और क्या अन्य पति या पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, किस स्थिति में तलाक मांगने वाला पक्ष पति या पत्नी या बच्चों की देखभाल और व्यवस्था करने का इरादा रखता है। नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और कल्याण का प्रश्न, पत्नी के लिए उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान, और बच्चों के आर्थिक अधिकार और अन्य लंबित मामले,

यदि कोई हो, तो प्रासंगिक विचार हैं। हम इन कारकों को संहिताबद्ध नहीं करना चाहेंगे ताकि संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को रोका जा सके।

52 (2019) 9 एससीसी 409।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान, जो स्थिति विशिष्ट है। उल्लिखित कुछ कारकों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, और विचार करने योग्य है।

34. अंत में, पूर्णता के लिए और हमारे द्वारा बताए गए अनुपात पर भ्रम और बहस से बचने के लिए, हम कुछ निर्णयों की जांच करना चाहेंगे, जिनमें इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए छह महीने की अवधि को समाप्त करने से इनकार कर दिया था। मनीष गोयल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति और अधिकार क्षेत्र, हालांकि व्यापक संभव शर्तों और पूर्ण प्रकृति में निहित है, विवेकाधीन है। इस प्रकार, असाधारण देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए, और जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है।

सहानुभूति के आधार पर। हालांकि, पीठ ने विशेष रूप से इस सवाल की जांच नहीं की कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि अनिवार्य है या प्रकृति में निर्देशिका है, और यदि निर्देशिका है, तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट/अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसे समाप्त किया जा सकता है। 53 इसके अलावा, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया, यह देखते हुए कि यह ऐसा मामला नहीं था जहां न्याय की धारा में कोई बाधा थी, या अदालत से न्यायसंगत राहत देने की आवश्यकता वाले पक्षों के साथ अन्याय था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग की आकस्मिकताएं स्थापित नहीं की गई थीं। 35. हितेश भटनागर बनाम। दीपा भटनागर 3 4, एक पक्ष ने दूसरे प्रस्ताव के चरण से पहले सहमति वापस ले ली थी, और इसलिए, तलाक की डिक्री पारित नहीं की जा सकी। पीठ ने सुरेशता देवी बनाम मामले में पहले के फैसले पर भरोसा किया। ओम प्रकाश ", जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपसी सहमति से तलाक के मामले में, एक पक्ष तलाक की डिक्री पारित होने से पहले किसी भी स्तर पर सहमति वापस ले सकता है। इस अनुपात को स्मृति पहाड़िया मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंजूरी दी है।

53 देखें-मनीष गोयल (ऊपर), पैराग्राफ 23। 54 (2011) 5 एससीसी 234। 55 (1991) 2 एससीसी 25.

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

वी. संजय पहाड़िया "। नतीजतन, इन फैसलों के बाद, हितेश भटनागर (उपरोक्त) का मानना है कि तलाक की डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि दूसरा प्रस्ताव, जो कानून में एक आवश्यकता है, दोनों पक्षों द्वारा कभी भी पेश नहीं किया गया था। यह भी देखा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (2) में निर्धारित अवधि 18 महीनों के भीतर सहमति वापस न लेने का कोई असर नहीं है क्योंकि यह 18 महीने की अवधि है -

केवल पारस्परिक रूप से तलाक के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट

सहमति दें। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी की उप-धारा (2) सहमति वापस लेने के लिए समय अवधि निर्दिष्ट नहीं करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करके अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने की याचिका पर विचार नहीं किया गया, हालांकि यह देखते हुए कि यह केवल उन स्थितियों में दिया जा सकता है जहां न्यायालय को किसी भी संदेह से परे आश्वस्त किया जाता है कि विवाह के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है और यह कि यह सुधार से परे टूट गया था। फिर भी, पीठ ने यह कहना उचित समझा कि उन्होंने विवाह के विघटन के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के मुद्दे पर अंततः कोई राय व्यक्त नहीं की है।

36. श्याम सुंदर कोहली बनाम। सुषमा कोहली उर्फ सत्य देवी 57, पीठ ने अपरिवर्तनीय आधार पर तलाक देने से इनकार कर दिया था

विवाह का टूटना, लेकिन यह भी कहा कि केवल चरम परिस्थितियों में ही यह न्यायालय इस आधार पर विवाह को भंग कर देगा। 37. दर्शन गुप्ता बनाम। राधिका गुप्ता, क्रूरता का आधार स्थापित नहीं हुआ था। इसके बाद दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) की जांच में पाया गया कि यह 'वैवाहिक अपराध सिद्धांत' या 'दोष सिद्धांत' पर आधारित है, और एक अनुक्रमिक के रूप में, जो व्यक्ति दोषी है और क्रूरता करता है, वह उन आरोपों के आधार पर दूसरे पति या पत्नी पर आरोप लगाने के लिए उंगली नहीं उठा सकता है और उस पर विवाह को भंग करने की मांग कर सकता है। यह मामला अजीब था क्योंकि निष्कर्षों के अनुसार, तलाक की मांग करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से गलती पर था और

दोषी ठहराए गए। विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की याचिका को उठाया गया और खारिज कर दिया गया क्योंकि यह वैधानिक प्रावधानों में अभिनिर्धारित नहीं है। रिलायंस को गुरबक्स सिंह बनाम पर रखा गया। हरमिंदर कौर का यह आग्रह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक दिया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि पीठ को इस पर राजी नहीं किया जा सका।

56 (2009) 13 एससीसी 338। 57 (2004) 7 एससीसी 747। 58 (2013) 9 एससीसी 1. 59 (2010) 14 एससीसी 301।

शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए मामले के आधार और तथ्य। पीठ ने कहा कि न्याय की अवधारणा पक्ष के हित के आधार पर भिन्न होती है। माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि "यह संदिग्ध है कि क्या विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर मांगी गई राहत उपलब्ध है।" इस प्रकार, इस मामले में, निर्णय ने उन प्रश्नों पर कोई ठोस राय और निष्कर्ष नहीं दिया जिनका हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के संदर्भ में उत्तर दिया है।

38. नीलम कुमार बनाम। दयरानी ", का संदर्भ सतीश सितोल बनाम को दिया गया था। गंगा, 6 1 जिसमें विवाह को उसके अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भंग कर दिया गया था, लेकिन नीलम कुमार (उपरोक्त) में इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया था कि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी किसी भी तरह से विवाह टूटने के लिए जिम्मेदार था। यह देखा गया कि विष्णु दत्त शर्मा बनाम। मंजू शर्मा 6 2, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना तलाक का आधार नहीं है। हालाँकि, विष्णु दत्त शर्मा (ऊपर) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र पर निर्णायक रूप से स्पष्ट नहीं किया। नीलम कुमार (ऊपर) के फैसले में स्वीकार किया गया है कि सतीश सितोल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, क्योंकि यह पक्षों के हित में था। नीलम कुमार (उपरोक्त) के तथ्यों में, पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक देने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी।

39. सावित्री पांडे बनाम में निर्णय। प्रेम चंद्र पांडे 63 ने जॉर्डन दींगदेह बनाम में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख किया है। एसएस.

चोपड़ा 64, जिसमें दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने विवाह के कानून में पूर्ण सुधार और धर्म और जाति की परवाह किए बिना सभी पर लागू एक समान कानून के साथ-साथ तलाक के आधार के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को लागू करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था। जॉर्डन डायंगदेह (ऊपर) का मानना है कि पूरी तरह से और संकेत रूप से टूट चुके विवाह को जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, लेकिन विधायिका ने उक्त आधार के लिए प्रावधान करना उचित नहीं समझा है।

60 (2010) 13 एससीसी 298।

61 (2008) 7 एससीसी 734।

63 (2002) 2 एससीसी 73. 64 4 (1985) 3 एससीसी 62.

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

सावित्री पांडे (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां तथ्यों के आधार पर, विवाह पक्षकारों द्वारा किए गए योगदान और चूक के कारण मृत हो गया हो, जैसा कि वी. भगत (ऊपर) के मामले में हुआ था। साथ ही पीठ ने महसूस किया कि विवाह की पवित्रता को परेशान करने वाले पक्षों में से किसी एक की सनक पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

40. ऊपर दर्ज हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मनीष गोयल (ऊपर), नीलम कुमार में इस न्यायालय के निर्णय

(ऊपर), दर्शन गुप्ता (ऊपर), हितेश भटनागर (ऊपर), सावित्री पांडे (ऊपर) और अन्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 'पूर्ण न्याय' करने के लिए भारत के संविधान द्वारा दी गई इस न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। दायरे पर हमारे निष्कर्षों के अनुरूप और

अधिनियम, हम मानते हैं कि 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत तलाक की याचिकाओं पर लागू दोष और दोष के सिद्धांत से बाधित नहीं है। जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, इस न्यायालय की तलाक की डिक्री पारित करके समझौते पर विवाह को भंग करने की शक्ति है पारस्परिक सहमति से, साथ ही आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही को रद्द और अलग कर दिया जाता है और इसका उपयोग किया जा सकता है।

41. अंत में, हमें इस बारे में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि क्या कोई पक्ष इस न्यायालय के समक्ष अप्राप्य विफलता के आधार पर सीधे प्रचार कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके। पूनम में

वी. सुमित तंवर, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने सही निर्णय दिया है कि इस तरह के किसी भी प्रयास को अस्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पक्षों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत या उस मामले के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि सक्षम न्यायिक मंच के निर्णय से व्यथित व्यक्ति का उपचार उसकी शिकायत के निवारण के लिए वरिष्ठ न्यायाधिकरण/मंच से संपर्क करना है। पक्षों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो। दूसरा, और अधिक

महत्वपूर्ण रूप से, भारत के संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए और उनके उल्लंघन के प्रमाण पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगी जा सकती है। न्यायिक आदेश पारित किए गए

65 (2010) 4 एससीसी 460।

न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों में या उनके संबंध में, हैं -

66

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए कोई पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है।

भारत का संविधान और इस न्यायालय से सीधे विवाह विच्छेद की राहत की मांग करें। जबकि हम उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि पूनम (ऊपर) में मनीष गोयल (ऊपर) का संदर्भ और यह अवलोकन कि यह संदिग्ध है कि क्या दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए छह महीने की अवधि को माफ किया जा सकता है, हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस संदर्भ का निर्णय लेते हैं

निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देकरः

इसकी शक्ति और अधिकारिता का दायरा और दायरा

((i)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत न्यायालय।

इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के बारे में यह प्रश्न

मूल कानून, जब तक कि निर्णय का प्रयोग किया जाता है मूलभूत सामान्य और विशिष्ट जनता के विचारों पर

नीति। यह तय करते समय कि विवेक का प्रयोग करना है या नहीं, यह

न्यायालय को अधिनियमित मूल प्रावधानों पर विचार करना चाहिए। और इसे नजरअंदाज नहीं करते हैं, हालांकि यह न्यायालय एक समस्या के रूप में कार्य करता है

परस्पर विरोधी के बीच इक्विटी को संतुलित करके समाधानकर्ता दावे करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग किसी 'कारण या पदार्थ' में किया जाना है।

((ख)

इसे ध्यान में रखते हुए और इसके निष्कर्षों के आधार पर

पहले प्रश्न पर पीठ, क्या यह न्यायालय, जबकि स्थानांतरण याचिका की सुनवाई, या किसी अन्य मामले में

संविधान के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए पक्षों को, और आपसी द्वारा तलाक की डिक्री प्रदान करें

अवधि और प्रक्रिया के साथ सहमति वितरण हिंदू विवाह की धारा 13-बी के तहत निर्धारित

अधिनियम, और अन्य/संबंधित को भी निरस्त और निपटान करें

66 देखें-साहिबज़ादा सैयद मुहम्मद अमीरब्बास अब्बासी और अन्य बनाम। मध्य भारत राज्य (अब मध्य प्रदेश) और अन्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 768; उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1621 और नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और दूसरा, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1.

शिल्पा शैलेश बनाम। वरुण श्रीनिवासन [संजीव खन्ना, जे.]

परिस्थितियों को इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक

सहायक मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है।

पहले प्रश्न पर हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक, अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए

पक्षकारों के बीच समझौते के लिए, दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता से बाध्य हुए बिना, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करके विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है। अमरदीप सिंह (ऊपर) और अमित कुमार (ऊपर) में बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए इस शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को रद्द और रद्द कर सकता है।

(iii)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति जब अन्य पति-पत्नियों के विरोध के बावजूद विवाह का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना हो

प्रार्थना?

जिसकी पृष्ठभूमि में विघटन का विरोध करने वाली पार्टी को रखा गया है। 43. पूर्वगामी कारणों से, 2014 की स्थानांतरण याचिका (दीवानी) संख्या 1118,2014 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 382,2014 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 468 और स्थानांतरण याचिका (दीवानी) संख्या। 1481 1482 2014 का निपटान किया जाता है, जैसा कि 06.05.2015 दिनांकित आदेश के अनुसार, एक खंड 214

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय की एक पीठ ने पहले ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) को लागू करके पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया है।

44. स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) सं। 96 और 2014 का 339 मई, 2023 के दूसरे सप्ताह में नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

उचित आदेश और निर्देश।

अंकित ज्ञान (सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)